Legal Awareness

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT LAW

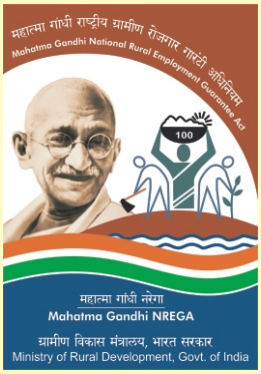

For Student Legal Literacy Mission & Para-Legal Volunteer Scheme

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई

मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल

न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव

श्री हरिन्द्र सिंह भन्गू

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

प्रकाशक:

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

एस.सी.ओ. 142–143, पहली मंजिल, सैक्टर 34 ए, चण्डीगढ़।

दूरभाष 0172–2604055, फैक्स 0172–2622875

ई–मेल: hslsa.haryana@gmail.com वैबसाईट: www.hslsa.nic.in

INDEX
(तालिका)

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	**First Information Report**	2-5
	प्रथम सूचना रिपोर्ट	
2.	**Arrest-Bail**	6-11
	गिरफ्तारी–जमानत	
3.	**Registration and Stamp Duty**	12-15
	पंजीकरण एंव स्टाम्प शुल्क	
4.	**The Hindu Marriage Act**	16-23
	हिन्दू विवाह अधिनियम	
5.	**The Child Marriage Restraint Act**	24-29
	बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम	
6.	**The Special Marriage Act**	30-33
	विशेष विवाह अधिनियम	
7.	**The Hindu Succession Act**	34-41
	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम	
8.	**The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005**	42-47
	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियिम, 2005	
9.	**Dowry related offences & the Dowry Prohibition Act**	48-53
	दहेज निरोधक अधिनियम	
10.	**Minority and Guardianship**	54-59
	नाबालिग का संरक्षण	

11.	**Maintenance for Women, Childrens and Parents Under Section 125 Cr.P.C.**	**60-61**
	धारा 125 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत औरतों, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण का प्रावधान	
12.	**The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act**	**62-63**
	वरिष्ठ नागरिकों व अभिभावकों की देखभाल व गुजारा भत्ता	
13.	**The Right to Information Act**	**64-71**
	सूचना का अधिकार	
14.	**MGNREGA**	**72-75**
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)	
15.	**The Scheduled Caste and Sechduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act**	**76-83**
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	
16.	**The Family Courts**	**84-85**
	पारिवारिक न्यायालय	
17.	**The Consumer Protection Act**	**86-89**
	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम	

सरल भाषा में –

कानूनी सवाल जवाब

FIRST INFORMATION REPORT

1. What is an FIR?

Ans. The First Information Report regarding commission of a cognizable offence is referred to as FIR. It is recorded by the police in register prescribed for that purpose by the State Government.

2. Who can lodge an FIR?

Ans. Any person who is victim of an offence or who is a witness to any such offence or who has knowledge about the commission of any such offence can lodge an F.I.R.

3. Difference between DDR and FIR?

Ans. First Information Report recorded by police regarding cognizable offence is referred to as FIR while the other reports recorded in daily diary register are referred as DDR.

4. What remedies are available in case of refusal by the police to record FIR?

Ans. In case of refusal by official at police station to record FIR, a written complaint can be sent by post to the Superintendent of Police concerned. The complainant can also directly approach the Judicial Magistrate having jurisdiction and file a complaint regarding the offence before the said Magistrate. The Magistrate can direct the police to investigate the case.

5. Whether the informer has to be present in person before the police for registration of FIR? Whether FIR can be got recorded on telephone, or through e-mail?

Ans. The FIR can be got recorded on telephone or even through e-mail and it is not necessary for the informer to be present personally before the police for registration of FIR.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है ?

उतर न्यायिक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी वह अपराध या अपराधिक घटना जिसमें कानून के तहत सजा/जुर्माना हो सकता हो और ऐसी किसी भी अपराधिक घटना या अपराध के बारे सूचना प्राप्त होने पर जो मुकदमा दर्ज होता है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। जो कि राज्य सरकार के कानून के अनुसार विदित रजिस्टर में पुलिस कर्मी या अफसर द्वारा दर्ज किया जाता है।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज करवा सकता है ?

उतर कोई भी वह व्यक्ति जो किसी भी अपराधिक घटना में त्रस्त हुआ हो अर्थात जिसके साथ कोई घटना घटित हुई हो या वह व्यक्ति जिसने इस प्रकार की किसी भी अपराधिक घटना को घटित होते देखा हो या किसी भी घटना के घटित होने बारे जानकारी रखता हो ऐसे व्यक्ति विशेष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट व दैनिक डायरी में क्या अन्तर है?

उतर न्यायिक कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा/जुर्माना होने वाली किसी भी घटना बारे प्राप्त होने वाली सूचना पर पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी जाने वाली सूचना पर जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते है जबकि अन्य किसी प्रकार की घटनाओं को दैनिक रजिस्टर में दर्ज होने को दैनिक डायरी रिपोर्ट कहते हैं।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस द्वारा इन्कार करने पर अन्य क्या–क्या तरीके मुकदमा दर्ज करने के बारे में होते है ?

उतर पुलिस थाना में पुलिस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा मुकदमा/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने पर, एक लिखित शिकायत/दरखास्त सम्बन्धित पुलिस अधिक्षक को डाक द्वारा भेजी जा सकती है। शिकायत को सम्बन्धित न्यायिक ईलाका मैजिस्ट्रेट/जज/न्यायिक अधिकारी के सामने भी पेश किया जा सकता है तथा उनके सामने एक लिखित शिकयत याचिका भी उस अपराध बारे दायर की जा सकती है। वह न्यायिक अधिकारी/जज, पुलिस को उस केस की छानबीन/तहकीकात/जाँच करने का आदेश दे सकता है।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मुदई/सूचनादाता का पुलिस के सामने उपस्थित होना आवश्यक है या नहीं ? या क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दूरभाष/टेलीफोन या ई–मेल/बेतार संदेश द्वारा भी दर्ज करवाई जा सकती है ?

उतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दूरभाष या ई–मेल/बेतार संदेश द्वारा भी शिकायतकर्ता/मुदई द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है, उस शिकायतकर्ता/मुदई का पुलिस के सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उपस्थित होना जरूरी नहीं है।

6. What are the benefits of early recording of FIR?

Ans. The FIR should be got recorded as early as possible, after the offence in questions. The early recording of FIR helps in the arrest of the real offenders and also helps in the collection of evidence of the crime. The version given in the FIR recorded without undue delay is considered more reliable by the Courts. Delay in reporting the matter to the police can raise suspicion that the version may be colored or concocted or an exaggerated account of the incident or innocent persons may have been roped in. The reason for delay should also be explained in the F.I.R.

7. Whether FIR can be got recorded at any police station irrespective of where the offence took place.

Ans. Yes, the FIR can be got recorded at any police station, irrespective of where the offence took place.

8. Whether the complainant is entitled to get the copy of FIR free of charges?

Ans. Yes, complainant is entitled to get a copy of FIR, free of charges.

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट को तुरन्त दर्ज करवाने के क्या फायदे होते हैं ?

उतर अपराध/घटना के घटित होते ही तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिऐ तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने से असल अपराधी को गिरफ्तार/पकड़ने में सहायता मिलती है और घटना/अपराध से सम्बन्धित साक्ष्यों को एकत्रित करने में सहायता मिलती है। बिना किसी देरी के प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज/दिए गऐ तथ्यों जो कि उसमे दर्ज किए गऐ होते हैं को न्यायालय द्वारा ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाने पर ज्यादा शंका/शक उठाए जा सकते हैं कि घटना से सम्बन्धित दिए गये तथ्य नकली, झूठे तैयार किए हुए या घटना से सम्बन्धित ना हैं या किसी बेगुनाह व्यक्ति को घटना में फंसाया ना जा रहा हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कारण भी लिखवाया जाना चाहिए।

प्रश्न क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट, जहाँ पर घटना घटित हुई है उस क्षेत्र से सम्बन्धित पुलिस स्टेशन/थाना के अतिरिक्त अन्य किसी थाना/पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई जा सकती है?

उतर जी हाँ ! प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी थाना में दर्ज करवाई जा सकती है। उस थाना में भी दर्ज करवाई जा सकती है जहाँ पर दोषी गिरफ्तार होता है।

प्रश्न क्या शिकायतकर्ता/मुदई प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है?

उतर जी हाँ ! मुदई/शिकायतकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।

ARREST-BAIL

1. What is the information which police is bound to give to the person being arrested.

Ans. At the time of arrest, the police must inform the arrested person of the reasons of his arrest. He must be forthwith informed the full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. When a person is arrested for a bailable offence he shall be informed that he is entitled to be released on bail. The police is also bound to give the information of his arrest to any of his friends, relatives etc.

2. What are the provisions regarding handcuffing.

Ans. No person arrested is to be handcuffed unless there is clear danger of escape or violence. Even such a person can be handcuffed only till he is produced before a Magistrate. Thereafter, handcuffs can be applied only with permission of the Magistrate.

3. When any person is arrested and detained in custody and it appears that investigation cannot be completed within 24 hours, what steps have to be taken by the police?

Ans. Arrested person must be produced before a Magistrate within 24 hours of his arrest.

4. Whether the Police is bound to give information about the arrest of person to his relatives or friends or neighbors.

Ans. The Police is bound to give information about the arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information.

5. Whether female can be arrested between sunsets and sunrise except with the permission of concerned Judicial Magistrate?

No female can be arrested between sunset and sunrise except with the permission of the concerned Judicial Magistrate.

6. What are the provision regarding Medical Examination of arrested person?

Ans. 1. At the time of arrest the police must examine the body of arrested person for any sign of grievous or simple injuries and should record said injuries in the memo.

गिरफ्तारी–जमानत

प्रश्न ***गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा क्या सूचना दी जानी आवश्यक है ?***

उत्तर गिरफ्तारी के समय पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचना दें एवं उसके तुरंत गिरफ्तार किए गए जुर्म की बाबत पुर्ण सूचना व गिरफ्तारी के कारण बताएं। यदि व्यक्ति जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर छोड़ने बारे बताए। इसके साथ–साथ पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्रों व स्वय संबंधित को भी सूचना देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न ***हथकड़ी लगाने के क्या–क्या प्रावधान है ?***

उत्तर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को तब तक हथकड़ी न लगाई जाए जब तक उसके द्वारा भागने का एवं हिंसक होने का स्पश्ट खतरा ना हो। ऐसा व्यक्ति जब तक उसे मैजिस्ट्रेट के समुख उपस्थित किया जावे उसे हथकड़ी में रखा जा सकता है, तत्प चात हथकड़ी केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से ही लगाई रखी जा सकती है।

प्रश्न ***जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा गया हो और जांच 24 घंटे के अंदर पूर्ण ना हो सकती होव ऐसा प्रतीत हो कि जांच 24 घंटे में पूरी नहीं होगी तब पुलिस को क्या–क्या कदम उठाने चाहिए ?***

उत्तर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के समुख प्रस्तुत किया जाए।

प्रश्न ***क्या पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्रों या सगेसंबंधियों या पड़ोसियों को सूचना देने के लिए बाध्य है ?***

उत्तर पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के स्थान एवं जहां उसे रखा गया है कि सूचना देने बारे उसके मित्रों, रिश्तेदार या ऐसे व्यक्तियों जिनका नाम गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया हो या गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित किए गए हो, को भी सूचना देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न ***क्या महिला सूर्यास्त होने के पश्चात और सूर्यादय होने से पहले, संबंधित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार की जा सकती है ?***

उत्तर कोई महिला सूर्यअस्त होने के पश्चात और सूर्य उदय होने से पूर्व संबंधित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं की जा सकती है।

प्रश्न ***गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच के क्या–क्या प्रावधान है ?***

उत्तर 1 गिरफ्तारी के समय, पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की भाारीरिक जांच अवश्य की जावे और उसके भारीर पर किसी प्रकार के निशान या गंभीर या साधारण चोट के बारे में गिरफ्तारी मैमो में अवश्य अंकित किया जावे।

2. The arrested person must be medically examined after every 48 hours by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or by local authority. When a person who is arrested, alleges, that the examination of his body will afford evidence which will disapprove the commission by him of any offence or which will establish commission by any other person of any offence against his body, the Magistrate shall direct the examination of the body of such person by a registered medical practitioner.

7. What are the rights of arrested persons to legal advice?

Ans. During investigation, the arrested person should be given permission to consult an advocate of his choice.

8. Whether the police can use coercive measures during investigation of an accused?

Ans. No, the police cannot use coercive measures during investigation of accused.

9. Whether the personal search of a female during investigation can be made by a male police official.

Ans. No, the personal search of a female during investigation of a case can only be made by a female official.

10. What are the provisions regarding bail when the investigation is not completed within 60/90 days.

Ans. When the investigation of a case is not completed within 60 or 90 days (as the case may be), the accused person shall be released on bail, if he is prepared to and does furnish bail.

11. What are bailable/non-bailable offences and what is the right of the accused for bail in such cases?

Ans. Non-bailable offences are more serious offences and the punishment for such offences is usually imprisonment of more than 3 years. Bailable offences are less serious offences where punishment prescribed is usually imprisonment of 3 years or less. In bailable offences, bail is a right of the accused. However, for non-bailable offences it is the discretion of the Court to admit the accused to bail, for which various circumstances are taken into consideration. These circumstances include gravity of offence, likelihood of the accused absconding and not facing the trial; the role attributed to the accused in the offence in question, the status and position the accused enjoys in the society etc.

2 गिरफ्तार व्यक्ति की आवश्यक रूप से स्वास्थ्य की जांच प्रत्येक 48 घंटे के अंतराल से, किसी सरकारी हस्पताल या स्थानीय निकाय में कार्यरत रजिस्टर्ड स्वास्थ्य अधिकारी से करवाई जाए। जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति ऐसा कहे की उसकी भाारीरिक जांच होने से उसको अपराध से निर्दोश होना साबित हो सकता है या किसी अन्य द्वारा अपराध करना सिद्ध हो सकता है तो ऐसी दशा में न्यायिक दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति की भाारीरिक जांच किसी रजिस्टर्ड स्वास्थ्य अधिकारी से करवाने के निर्देश पारित करेगा।

प्रश्न गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी राय प्राप्त करने के क्या–क्या अधिकार है?

उत्तर जांच के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने चुनिन्दा वकील से राय करने की अनुमति दी जावे।

प्रश्न क्या पुलिस जांच के दौरान दोशी से बलपूर्वक तरीके अपना सकती है?

उत्तर नहीं, पुलिस जांच के दौरान अपराधी के प्रति बलपूर्वक तरीके नहीं अपना सकती।

प्रश्न क्या जांच के दौरान, किसी महिला की व्यक्तिगत तलाशी किसी पुरूश पुलिस अधिकारी द्वारा ली जा सकती है?

उत्तर नहीं, जांच के दौरान, किसी महिला की भाारीरिक तलाशी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है।

प्रश्न यदि जांच 60/90 दिनों के भीतर पूर्ण नहीं होती तो जमानत के क्या प्रावधान है?

उत्तर जब जांच 60/90 दिनों में पूर्ण नहीं होती तो जैसा Cr.P.C. में प्रावधान है। गिरफ्तार व्यक्ति को अवश्य जमानत पर छोड़ा जायेगा, यदि वह जमानत देने हेतु तैयार हो।

प्रश्न जमानती व गैर जमानती अपराध कौन से होते हैं, व उनमें दोषी को जमानत पाने का क्या अधिकार है?

उतर गैर जमानती अपराध गम्भीर रुप के होते हैं, जिनमें आमतौर पर सजा तीन साल या तीन साल से ऊपर की होती हैं। जमानती अपराध कम गम्भीर प्रवृति के होते हैं व इनकी सजा कानून में आमतौर पर तीन साल से कम होती हैं। जमानती अपराध में जमानत पाना दोषी का अधिकार है, जबकि गैर जमानती अपराधों में न्यायालय पर निर्भर करता है कि वे मुकद्में के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोषी को जमानत दे या नहीं। जो तथ्य, न्यायालय को ध्यान में रखने होते हैं उसमें अपराध की गम्भीरता, दोषी की भागने की सम्भावना दोषी की अपराध में भूमिका, दोषी का समाज में रूतबा वा स्थान, शामिल हैं

12. What is the right of an indigent person for being released on personal bonds in bailable offences?

Ans. Where a person is accused of a bailable offence and he is an indigent person and is unable to furnish surety, then the Court shall, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance. The Court shall presume that a person accused of bailable offence is an indigent person, where such person is unable to give bail within a week of the date of his arrest.

13. What are the provisions regarding release of persons who have undergone detention for a period extending upto one half of the maximum period of imprisonment specified for that offence.

Ans. Except offences where capital punishment has been specified as one of the punishments, under trial who has undergone detention for a period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, shall be released by the Court on his personal bond with or without sureties.

14. What are the provisions for release of person detained for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence?

Ans. No under trial shall in any case be detained for more than the maximum period of the imprisonment provided for the said offence under that law, and so has to be released from custody.

प्रश्न जमानती अपराध में वो दोषी जो अपनी गरीबी के कारण जमानत देने में अक्षम हैं उसके निजी बांड के आधार पर जमानत पर छुटने का क्या अधिकार है?

उतर जमानती अपराध का दोषी, अगर अपनी गरीबी के कारण अपना जमानती पेश नहीं कर सकता, उन परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे व्यक्ति की जमानत लेने की बजाये, उस व्यकित को उसके निजी बांड के आधार पर छोड़ सकती है। इस कार्य के लिए किसी अन्य जमानती की आवश्यकता नहीं होगीं। न्यायालय, जमानती अपराधों में, उस व्यक्ति को गरीब मानेगी, जो गिरफ्तारी के एक सप्ताह के बीच में अपनी जमानत नहीं करवा पाया।

प्रश्न कानून में उन व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान है, जो मुकद्मे के दौरान अपराध के लिये अधिकतम निर्दिष्ट, सजा में से, आधा समय तक बन्द हवालात रहे हो?

उतर ऐसे अपराधों को छोड़कर, जिनमें सजा–ए–मौत का प्रावधान है, बाकि अपराधों में जहाँ अपराधी, अपराध के बाबत निर्दिष्ट सजा में से, आधा समय मुकद्मे के दौरान, बन्द हवालात रहा हो, उस व्यक्ति को न्यायालय उसके निजी बांड के आधार पर, या तो जमानती के साथ या बिना जमानती हवालात से छोड़ेगीं

प्रश्न उस व्यक्ति के बारे में क्या प्रावधान है, जो किए गये अपराध की बाबत निर्दिष्ट सजा से ज्यादा मुकद्मे के दौरान, बन्द हवालात रहा हो?

उतर कोई भी विचाराधीन अपराधी, अपने किये गये अपराध बाबत निर्दिष्ट सजा से ज्यादा समय तक बन्द हवालात नहीं रखा जा सकता व न्यायालय द्वारा तुरंत हवालात से रिहा किया जाएगां

REGISTRATION AND STAMP DUTY

1. What are the benefits of registration of documents?

Ans. Registration of some documents like sale deeds of immovable property, is compulsory. The registration of other documents which are not required by law to be registered, is optional. Documents which are by law required to be registered carry a certificate of registration which is endorsed by the registering officer and is signed, sealed and dated by him. Such certificate endorsed on the document is admissible for the purpose of proving that the facts mentioned in the endorsement have occurred as therein mentioned. Hence, an endorsement by the sub-registrar on a registered document that its execution was admitted by the executant, is admissible for the purpose of proving that the executant admitted the execution of said document before sub-registrar. Similarly, endorsement regarding payment of consideration by the vendee to the vendor in presence of sub-registrar is admissible for proving the payment of consideration. Registration of a document is also a notice to the general public regarding the transaction in question.

2. What are the requirements of a valid Will and what are the benefits of getting a Will registered?

Ans. Every Will has to be attested by at least 2 witnesses. Registration of Will is optional. However, registered Will is usually considered more reliable as there are lesser chances of fabrication. Other benefits of registration of Will are same as in case of registration of other documents, discussed above.

3. Does a Will create any proprietary rights in the beneficiary before death of testator.

Ans. No, the proprietary rights accrue only after the death of the testator.

4. Whether Will can be got changed by the testator during his life time?

Ans. Yes, the testator can change his Will at any time during his life time.

5. What is a general power of attorney and a special power of attorney?

Ans. Special power of attorney is for a specific transaction whereas general power of attorney is the authority to execute or do any instrument or thing in and with his own name and signature, by the authority of the donor of the power, and every instrument or thing so executed and done, shall be as effectual in law as if it had been executed or done by the donor.

पंजीकरण एंव स्टाम्प शुल्क

प्रश्न दस्तावेज को पंजीकृत करवाने के क्या फायदे हैं?

उतर कुछ दस्तावेज जैसे कि अचल सम्पत्ति का बैयनामा, हिब्बानामा आदि को पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक होता है। जो दस्तावेज कानून के मुताबिक पंजीकृत करवाने जाने आवश्यक नहीं है उनकी पंजीकृत करवाना या ना करवाना एच्छिक है। जो दस्तावेज कानून के मुताबिक पंजीकृत करवाने आवश्यक हैं उन पर पंजीकृत अधिकारी द्वारा पंजीकृत किये जाने का प्रमाण–पत्र जिस पर पंजीकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर व पंजीकरण की तारीख का इंद्राज दर्ज होता है।

प्रश्न एक वैध वसीयत की क्या आवश्यकता है व वसीयत को पंजीकृत करवाये जाने के क्या लाभ हैं?

उतर हर वसीयत किन्हीं दो गवाहन के द्वारा तसदीक होनी आवश्यक है। वसीयत को पंजीकृत करवाना एच्छिक है। पंजीकृत वसीयत को ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि पंजीकृत वसीयत के साथ छल करने के मौके कम होते हैं व उस वसीयत को वैध तहरीर की परिकल्पना की जाती है। वसीयत को पंजीकृत करवाने के बाकी लाभ वही हैं जो कि दुसरे दस्तावेजों को पंजीकृत करवाने से प्राप्त होते हैं ।

प्रश्न क्या कोई वसीयत तहरीरकर्ता की मृत्यु से पहले जिसके नाम की गई हो, स्वामित्व अधिकार उत्पन्न करती है?

उतर नहीं। स्वामित्व के अधिकार तहरीरकर्ता की मृत्यु के बाद ही नामद को प्राप्त होते हैं।

प्रश्न क्या कोई तहरीरकर्ता अपने जीवन काल में अपनी वसीयत को बदल सकता है?

उतर हां, वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में किसी भी समय अपनी वसीयत को बदल सकता है।

प्रश्न मुख्तयारनामा खास व मुख्तयारनामा आम क्या है?

उतर मुख्तयारनामा खास किसी खास कार्य को करने के लिये दिया जाता है जबकि मुख्तयारनामा आम तहरीरकर्ता की तरफ से उसके नाम पर कार्य को करने के लिये दिया जाता है और ऐसे सभी पत्र जो कि तहरीरकर्ता के द्वारा दी गये आदेश/अनुमति जो कि मुख्तयारनामा आम में दर्ज हैं, कानून की दृष्टि में तहरीरकर्ता के द्वारा तहरीर किये गये मानें जाते हैं और कानूनी दृष्टि से सही हैं।

6. Whether the power of attorney can be got cancelled and what is the procedure for cancellation.

Ans. Yes, power of attorney can be got cancelled unless it is an irrevocable power of attorney. Notice of such cancellation must be given to the attorney, otherwise any transaction carried out by the attorney without knowledge of cancellation can bind the owner.

7. When the possession of property is transferred at the time of agreement to sell, whether it would require registration of the agreement.

Ans. Yes, if possession of property is transferred at the time of agreement to sell then the agreement would require registration.

प्रश्न *क्या मुख्तयारनामा को रद्द किया जा सकता है और इसे रद्द करने की क्या विधि है?*

उतर हां, मुख्तयारनामा को रद्द किया जा सकता है यदि वह अपरिवर्तनीय मुख्तयारनामा है। ऐसी की रददता की सूचना मुख्तयार को दी जानी जरुरी है, अन्यथा मुख्तयार द्वारा बिना किसी रद्दता की सूचना के बिना किया गया कार्य सम्पादन मालिक पर पूर्ण रुप से बाध्य होता है।

प्रश्न *यदि किसी जायदाद का कब्जा इकरारनामा सौदा बैय के समय ही हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो क्या वह इकरारनामा पंजीकृत होना अनिवार्य है?*

उतर हां, यदि किसी जायदाद का कब्जा इकरारनामा सौदा बैय के समय ही हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो वह इकरारनामा पंजीकृत होना अनिवार्य है।

THE HINDU MARRIAGE ACT

1. Who are the persons governed by this Act?

Ans. All Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs.

2. What should be minimum age of bride and bride-groom at the time of marriage?

Ans. Bride-18 years, Bride-groom-21 years.

3. What marriages are void and what marriages are voidable?

Ans.

Void Marriages	Voidable Marriages
Where it contravenes any one of the following conditions: a) Either party has a spouse living at the time of marriage. b) Parties are within prohibited relationship. c) Parties are sapindas of each other.	Marriage may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds: 1. Impotency of respondent. 2(a) Respondent was Incapable of giving a valid consent to marriage because of unsoundness of mind. (b) Respondent was suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children. (c) Respondent was subject to recurrent attacks of insanity. 3 The consent of the petitioner was obtained by force or by fraud. 4 The respondent at the time of marriage was pregnant by some person other than the petitioner.

हिन्दू विवाह अधिनियम

प्रश्न यह अधिनियम किस–किस व्यक्ति पर लागू होता है ?

उतर (क) हिन्दू
(ख) बौद्ध
(ग) जैनी
(घ) सिख

प्रश्न विवाह के समय वर और वधू की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए ?

उतर वधू – 18 वर्ष और वर – 21 वर्ष

प्रश्न कौन से विवाह अमान्य हैं और कौन से अमान्यकरणीय हैं ?

अमान्य विवाह	अमान्यकरणीय विवाह
जहाँ निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति की अवहेलना होती हो – क) विवाह के समय कोई भी पक्ष पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए। ख) यदि दोनों पक्ष किसी निषिद्ध रिश्ते में हों ग) यदि दोनों पक्ष एक–दूसरे sapindas हों	निम्नलिखित के आधार पर डिक्री द्वारा विवाह अमान्य हो सकता है – 1) प्रतिवादी के नपुंसक होने की स्थिति में। 2) (क) यदि कोई पक्ष विवाह के लिए किसी मानसिक रोग के कारण सहमति देने में असमर्थ हो। (ख) यदि प्रतिवादी किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित है कि विवाह व बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य है। (ग) वह स्थिति जिसमें शादी के समय से प्रतिवादी पागलपन के आवर्ती दौरे से प्रभावित हो। 3) यदि याचिकाकर्ता की सहमति बल या धोखे से प्राप्त की गई हो। 4) यदि प्रतिवादी विवाह के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से गर्भवती हो।

4. What are the provisions regarding restitution of conjugal rights under Hindu Marriage Act?

Ans. When either spouse has withdrawn from the society of the other without any reasonable excuse, Court may pass a decree for restitution of conjugal rights.

5. What are the grounds on which divorce can be obtained under Hindu Marriage Act?

Ans. A petition for divorce may be filed after one year of the marriage. In case of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, a petition may be allowed to be presented before one year.

Marriage may be dissolve by a decree of divorce on the following grounds:

1. Respondent had voluntary sexual intercourse with any person other than the spouse after the marriage.
2. Respondent has treated the petitioner with cruelty.
3. Respondent has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years.
4. Respondent ceased to be a Hindu.
5. Respondent has been incurably of unsound mind.
6. Respondent has been suffering from virulent and incurable form of leprosy.
7. Respondent has been suffering from venereal disease in a communicable form.
8. Respondent has renounced the world by entering any religious order.
9. Respondent not heard of as being alive for a period of seven years or more.

   <u>Either party may obtain divorce:</u>

10. On the ground that there was no resumption of cohabitation for period of one year or more after decree of judicial separation

प्रश्न हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए क्या प्रावधान हैं ?

उतर यदि एक पक्ष को दूसरे पक्ष के समाज से बिना किसी उचित बहाने के निकाल दिया गया हो, तो न्यायालय वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पास कर सकता है।

प्रश्न हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किस आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है?

उतर विवाह के एक वर्ष पश्चात् तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण भ्रष्टता के केस में एक वर्ष से पहले तलाक याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। निम्नलिखित आधार पर तालाक के आदेश की डिक्री के द्वारा विवाह भंग हो सकता है –

(1) यदि विवाह के बाद अपने साथी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्वैछिक संभोग किया हो।

(2) प्रतिवादी ने शादी होने के बाद से वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो।

(3) यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्ष का परित्याग किया हो (कम से कम निरंतर दो साल के लिए)।

(4) यदि धर्म परिवर्तन के कारण प्रतिवादी हिन्दू न रहा हो।

(5) यदि प्रतिवादी अरोग्य पागलपन से पीड़ित हो।

(6) यदि प्रतिवादी उग्र व लाईलाज कुष्ठ रोग से पीड़ित हो।

(7) यदि प्रतिवादी संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।

(8) यदि प्रतिवादी किसी धार्मिक गठन को अपनाकर दुनियादारी त्याग देता है।

(9) यदि प्रतिवादी के जीवित होने के बारे में सात वर्ष या उससे अधिक तक न सुना हो।

कोई भी पक्ष निम्नलिखित के आधार पर भी तलाक ले सकता है –

(10) यदि न्यायिक अलगाव की डिक्री के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक दोनों पक्षों के बीच सहवास न हुआ हो।

11. There has been no restitution of conjugal rights for a period of one year or more after decree for restitution of conjugal rights.

    Wife may also seek divorce on the following ground:

12. In case of marriage before 1955 act, the husband had married again before such commencement or that any other wife of the husband was alive at the time of solemnization of marriage of petitioner.

13. The husband, after marriage, has been guilty of rape, sodomy or bestiality.

14. Co-habitation not resumed for one year or more since passing of decree/order for maintenance against husband under Section 125 Cr.P.C or under Hindu Adoptions & Maintenance Act, 1956.

15. Marriage was solemnized when petitioner was below 15 years of age and she has repudiated the marriage, after attaining the age of 15 years, and before attaining the age of 18 years.

    Divorce under customary law is recognized under Section 29 of Hindu Marriage Act. Such custom and usage should have been continuously observed for a long time, having obtained the force of law among Hindus in any local area, Tribe, Community, groups or family. Rule should be certain and not opposed to public policy.

6. Whether a petition under Hindu Marriage Act cannot be filed within one year of the marriage?

Ans. Yes, a petition under Hindu Marriage Act cannot be filed within one year of the marriage except with the permission of the Court.

7. When can a person re-marry after passing of decree of divorce?

Ans. When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or if there is such a right of appeal the time for appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to marry again.

(11) यदि वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद भी दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली न हुई हो।

पत्नी निम्नलिखित आधार पर तलाक ले सकती है –

(12) 1955 के अधिनियम आरम्भ होने से पहले पति ने दोबारा विवाह कर लिया था या उसकी कोई अन्य पत्नी याचिकाकर्ता के विवाह के समय जीवित थी।

(13) यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, गुदा मैथून या पाशविकता का अपराधी हो।

(14) धारा 125 के तहत या हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि पति के खिलाफ भरण–पोषण के आदेश पास होने के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास न हुआ हो।

(15) यदि याचिकाकर्ता का 15 वर्ष की उम्र से पहले विवाह हुआ हो और यदि उसने 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच में विवाह का खण्डन कर दिया हो।

प्रश्न रीति–रिवाजों के तहत तलाक?

उतर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 29 रीति–रिवाज के तहत तलाक को भी मान्यता देती है परन्तु ऐसे रीति रिवाजों का अनुपालन एक लम्बे समय से लगातार होना चाहिए। यह नियम निश्चित होना चाहिए और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

प्रश्न क्या हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के एक वर्ष के भीतर याचिका दायर नहीं की जा सकती?

उतर हाँ, अदालत की अनुमति के अलावा, हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के एक वर्ष के भीतर याचिका दायर नहीं की जा सकती।

प्रश्न तलाक की डिक्री के पास होने के बाद व्यक्ति कब दूसरा विवाह कर सकता है?

उतर जब तलाक की डिक्री के द्वारा विवाह को भंग किया जाता है, उसके बाद यदि डिक्री के खिलाफ अपील करने का अधिकार न हो और यदि अपील करने के अधिकार का समय समाप्त हो गया हो और यदि अपील प्रस्तुत की गई हो किन्तु अपील को खारिज कर दिया गया है, तो किसी भी पक्ष के लिए दोबारा विवाह करना वैध होगा।

8. What are the provisions regarding grant of interim maintenance?

Ans. Where it appears to Court that the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for his/her support and the necessary expenses of the proceedings, it may grant interim maintenance to the applicant.

9. What are the provision regarding permanent alimony?

Ans. At the time of passing of decree or at any time subsequent thereto the Court on application made by either party, order that the other party shall pay to the applicant for his/her maintenance and support, a gross sum or such monthly or periodical sums as may seem to the Court to be just.

10. Which Authority is competent to grant the decree of divorce and what is the procedure to be followed?

Ans. The petition for divorce is to be filed before the District Court:-

1. Where the marriage was solemnized.
2. Where respondent resides.
3. Where the parties to the marriage last resided together.
4. In case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of petition.

11. Are customary marriages such as Kreva marriage valid?

Ans. The Hindu Marriage can be solemnized in accordance with customary rights and ceremonies of either party thereto. So, customary marriages such as Kreva marriages, where such customs are recognized can be a valid marriage if there is no violation of any other provision of the Act.

प्रश्न क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम गुजारा–भता का प्रावधान है ?

उतर यदि न्यायालय को लगे कि पति या पत्नी की ऐसी स्वतंत्र आय नहीं है उसका गुजारा हो सके और केस के आवश्यक खर्च सहन कर सके, तो आवेदक को अन्तरिम गुजारा भता दिया जा सकता है।

प्रश्न क्या स्थाई तौर पर निर्वाह–व्यय पाने के लिए प्रावधान हैं ?

उतर दावा पारित करने के समय या उसके बाद किसी पक्ष के आवेदन पर, न्यायालय आदेश पारित कर सकता है कि दूसरा पक्ष आवेदक को निर्वाह–व्यय के लिए एक सकल राशि देगा, या मासिक या एक निश्चित अन्तराल पर भुगतान करेगा, जैसा न्यायालय की दृष्टि में उचित हो।

प्रश्न कौन सा प्राधिकरण तलाक की डिक्री देने में सक्षम होता है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उतर तलाक के लिए उस जिला अदालत में याचिका दी जा सकती है –

क) जहाँ विवाह हुआ था।

ख) जहाँ प्रतिवादी रहता है।

ग) जहाँ पति और पत्नी दोनों विवाह के समय साथ रहते थे।

घ) यदि पत्नी याचिकाकर्ता है वह याचिका की प्रस्तुति के दिन जहाँ पर रह रही हैं।

प्रश्न क्या रिवाज के अनुकूल होने वाले विवाह, जैसे क्रेवा विवाह, मान्य हैं ?

उतर हिन्दू विवाह किसी एक पक्ष के रीति–रिवाजों के अनुसार किया जा सकता है। इसलिए प्रथागत विवाह, जैसे क्रेवा विवाह, मान्य विवाह हैं जहाँ ऐसे रिवाज मान्य हैं और यदि अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो।

THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT

1. What should be the minimum age of bride and bride-groom at the time of marriage?

Ans. Bride-18 years, Bride-groom-21 years

2. What are the various offences under this Act and the punishment prescribed for such offences and whether the parties to the Child Marriage can also be punished?

Ans. Punishment for performing child Marriage.

Where a bridegroom, who is above 18 years of age, has married with a girl who is below 18 years of age, the bridegroom can be sentenced to rigorous imprisonment up to 2 years and/or fine of upto Rs.1 lakh.

All such persons, who perform, conduct, or direct or abet any child marriage, may be sentenced to rigorous imprisonment up to 2 years and/or fine of upto Rs.1 lakh.

Where a child contracts a child marriage, any person having charge of the child, whether as parent or guardian or any other person or in any other capacity, lawful or unlawful, including any member of an organization or association of persons who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnised, or negligently fails to prevent it from being solemnized, including attending or participating in a child marriage, shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend upto Rs.1 lakh.

Provided that no woman shall be punishable with imprisonment.

It shall be presumed, unless and until the contrary is proved, that where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such minor child has negligently failed to prevent the marriage from being solemnised.

Offences punishable under this Act are cognizable and non-bailable.

बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम

प्रश्न विवाह के समय वर और वधू की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए ?

उतर वधू – 18 वर्ष और वर – 21 वर्ष

प्रश्न इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध और उनकी विभिन्न सजाएं क्या हैं और क्या बाल विवाह कराने वाले पक्षों को भी सजा दी जा सकती है ?

- यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ होता है तो लड़के को 2 साल सश्रम कारावास और/या एक लाख रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ऐसे सभी व्यक्ति जो बाल विवाह करते हैं या करवाने में भूमिका निभाते हैं उन्हें 2 साल सश्रम कारावास और/या एक लाख रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यदि कोई माता-पिता, बच्चे के अभिभावक, या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी क्षमता से, वैध या अवैध रूप से या किसी भी ऐसी संस्था के सदस्य की मदद से जो बाल विवाह करवाती हो, बाल विवाह करने के दोषी हों या किसी भी बाल विवाह समारोह में भाग लेते हों, तो वे 2 वर्ष तक सश्रम कारावास के भागी होंगे और साथ में जुर्माना एक लाख रूपये तक हो सकता है।
- इस अधिनियम के तहत किये गये अपराध गैर जमानती होते हैं।

3. What steps can be taken to stop or prevent solemnization of Child Marriages and the powers of Court to issue injunction order for prohibiting a Child Marriage?

Ans.

1. A Child Marriage Prohibition Officer may file application, or any person/NGO having information about the likelihood of solemnization of child marriage, may file a complaint giving this information to the Metropolitan Magistrate/Judicial Magistrate Ist Class.

2. The said Court can pass an injunction order restraining such marriage. Whoever knowing that an injunction has been issued against him disobeys such injunction shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

   Provided that no woman shall be punishable with imprisonment.

   Any child marriage solemnised in contravention of an injunction order issued under section 13, whether interim or final, shall be void *ab initio*.

3. The District Magistrate may take any step for restraining a child marriage.

3. The information regarding child marriage may also be given in the police station.

4. Is the Child Marriage voidable at the option of the contracting parties and what is the limitation for filing such petition?

Ans. Voidable Marriage

The child marriage is voidable. Any party to a child marriage, who was a 'child' at the time of such marriage, may file a petition before the District Court for annulling this marriage. Such petition has to be filed by such party before expiry of two years of his/her attaining the majority.

प्रश्न बाल विवाह रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और बाल विवाह रोकने के लिए न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

उतर क) बाल विवाह निषेध अधिकारी या कोई भी व्यक्ति या कोई गैर सरकारी संगठन जिसे बाल विवाह होने की जानकारी हो, महानगरीय मैजिस्ट्रेट/1st क्लास मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

ख) न्यायालय ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। जिसको यह पता हो कि उसके विरूद्ध आदेश जारी हुऐ हैं और वह उस आदेश की अवहेलना करे तो वह इसके लिए दण्ड का भागीदार होगा और इसकी सजा दो वर्ष तक हो सकती है या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बशर्ते कि किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं होगी।

यदि कोई बाल विवाह धारा 13 के अन्तर्गत पारित ओदश के खिलाफ हो, तो वह अमान्य होगा, चाहे वह आदेश अंतरिम या अंतिम हो।

ग) बाल विवाह रोकने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट कोई भी कदम उठा सकता है।

घ) बाल विवाह की सूचना पुलिस थाने में भी दी जा सकती है।

प्रश्न क्या बाल विवाह पक्षों की इच्छानुसार अमान्यकरणीय हैं और इसके लिए याचिका दायर करने के लिए क्या सीमा है ?

उतर **अमान्यकरणीय विवाह** – बाल विवाह अमान्यकरणीय है। कोई भी पक्ष जो कि विवाह के समय बाल उम्र में था, वह जिला न्यायालय में उस विवाह को खत्म करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। ऐसी याचिका उस पक्ष द्वारा उसके बालिग होने के बाद दो वर्ष के अन्दर दायर करनी होती है।

5. Who is a Child Marriage Prohibition Officer and what are his duties?

Ans. A Child Marriage Prohibition Officer for any particular area in the State can be appointed by the State Government. Presently the protection officers appointed under "Protection of Women from Domestic Violence Act" are performing the duties of Child Marriage Prohibition Officers in their respective districts. Following are the duties of the Child Prohibition Officer:

a) to prevent solemnization of child marriages by taking such action as he may deem fit;

b) to collect evidence for the effective prosecution of persons contravening the provisions of this Act;

c) to advise either individual cases or counsel the residents of the locality generally not to indulge in promoting, helping, aiding or allowing the solemnization of child marriages;

d) to create awareness of the evil which results from child marriages;

e) to sensitize the community on the issue of child marriages;

f) to furnish such periodical returns and statistics as the State Government may direct; and

g) to discharge such other functions and duties as may be assigned to him by the State Government.

प्रश्न बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन होता है और उसके क्या कर्तव्य होते हैं ?

उतर राज्य के किसी भी विशेष क्षेत्र के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस समय, "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम" के अन्तर्गत नियुक्त संरक्षण अधिकारी अपने सम्बन्धित जिलों में बाल विवाह निषेध अधिकारी के कर्तव्यों को निभा रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं –

क) बाल विवाह रोकने के लिए कार्यवाही करना;

ख) इस अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए सबूत जुटाना।

ग) इलाके के निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, मदद करने, सहायता देने या अनुमति देने के खिलाफ सलाह देना।

घ) बाल विवाह से होने वाली हानियों के बारे जागरूक करना।

ड.) बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना।

च) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित नियतकालिक आँकड़े जुटाना।

छ) राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए दूसरे अन्य कार्य व कर्तव्यों को करना।

THE SPECIAL MARRIAGE ACT

1. Who are persons governed by this Act?'

Ans. Any person in India and all Indian nationals in foreign countries.

2. What should be the minimum age of bride and bride-groom at the time of marriage?

Ans. Bride-18 years, Bride-groom-21 years

3. What are the other conditions for a valid marriage under this Act?

Ans.

1. Any two persons belonging to different religions may marry under this Act without changing their religions.
2. Neither party should have a spouse living at the time of marriage. Widow, widower and a divorcee may perform marriage under this Act.
3. Neither party should be incapable of giving a valid consent in consequence of unsoundness of mind.
4. Neither party should be suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children.
5. Neither party should be suffering from incurable insanity.
6. Parties should not be within degrees of prohibited relationship.
7. Age:

   Bridegroom: 21 years.

   Bride: 18 years.

4. Which Authority is competent to solemnize marriage and the procedure for solemnization and registration of marriage under this Act?

Ans.

1. No religious ceremonies are required.
2. The marriage is performed by Marriage Officer appointed by the Government.
3. Parties to the marriages shall give notice to Marriage Officer in the prescribed performa.
4. Marriage Officer enters this information in the Register maintained by him and a public notice of this information is given by the Marriage Officer.

विशेष विवाह अधिनियम

प्रश्न यह अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होता है ?

उतर भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय।

प्रश्न विवाह के समय वर और वधू की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए ?

उतर वधू – 18 वर्ष और वर – 21 वर्ष

प्रश्न इस अधिनियम के तहत एक मान्य विवाह के लिए क्या शर्तें हैं ?

उतर क) इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म को मानने वाले कोई भी दो व्यक्ति बिना अपना धर्म बदले विवाह कर सकते हैं।

ख) विवाह के समय कोई भी पक्ष विवाहित नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत विधवा, विदुर और तलाकशुदा भी शादी कर सकता/सकती है।

ग) कोई भी पक्ष विवाह के लिए अयोग्य और सहमति देने में मानसिक तौर पर असमर्थ नहीं होना चाहिए।

घ) कोई भी पक्ष किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए कि वह विवाह व बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हो।

ङ) किसी भी पक्ष को पागलपन के दौरे न पड़ते हों।

च) दोनों पक्ष आपस में किसी निषिद्ध रिश्ते में नहीं होने चाहिए।

छ) लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न इस अधिनियम के तहत विवाह करवाने और विवाह को पंजीकृत करवाने के लिए कौन सा प्राधीकरण सक्षम है और विवाह की क्या प्रक्रिया है ?

क) कोई धार्मिक रस्म जरूरी नहीं हैं।

ख) सरकार द्वारा नियुक्त वैवाहिक अधिकारी द्वारा शादी सम्पन्न करवाई जाती है।

ग) विवाह करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा वैवाहिक अधिकारी को एक निर्धारित फार्म में सूचना देनी होती है।

घ) वैवाहिक अधिकारी इस सूचना को एक रजिस्टर में दर्ज करता है। वैवाहिक अधिकारी इस जानकारी की सार्वजनिक सूचना देता है।

5. The Marriage is to be performed after 30 days of this public notice and before expiry of two months from issue of notice.

6. Before marriage the applicants and three witnesses shall sign a declaration in the form specified.

7. Marriage shall not be complete and binding unless each party says to the other in presence of Marriage Officer and three witnesses "I (A) take thee (B) to be my lawful wife/husband (in any language understood by the parties)"

8. The marriage is thus completed and recorded in a book kept for that purpose. The entry is signed by the applicants and the witnesses.

5. Grounds of divorce under this Act?

Ans. Parties may belong to different religions when they perform marriage under this Act, but they will have similar ground for getting a divorce, as mentioned below:

1. Respondent had voluntary sexual intercourse with any person other than the spouse after the marriage.

2. Respondent has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years.

3. Respondent being sentenced to imprisonment for seven years or more for any offence.

4. Respondent has treated the petitioner with cruelty.

5. Respondent has been incurably of unsound mind.

6. Respondent has been suffering from venereal disease.

7. Respondent has been suffering from incurable form of leprosy.

8. Respondent not heard of as being alive for a period of more than seven years.

9. The respondent-husband has been convicted for rape or outraging modesty of any female.

10. Wife may also get divorce on the ground that there was no resumption of cohabitation for period of one year or more since passing of decree or order for maintenance.

ङ) इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के तीस दिन बाद और दो मास खत्म होने से पहले शादी होगी।

च) शादी से पहले आवेदकों और तीन गवाहों निर्दिष्ट फार्म में घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।

छ) विवाह को तब तक सम्पन्न नहीं माना जाता है जब तक कि दोनों पक्ष विवाह अधिकारी और तीन गवाहों की उपस्थिति में एक दूसरे से निम्नलिखित नहीं कहते –

''मैं तुम्हें अपना/अपनी वैध पति/पत्नी मानता/मानती हूँ।''

(ऐसा किसी भी भाषा में कहा जा सकता है जिसे दोनों पक्ष समझते हों।)

झ) इस तरह से विवाह सम्पन्न हो जाता है जिसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इस रिकॉर्ड पर आवेदकों और गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं।

प्रश्न इस अधिनियम के तहत किस आधार पर तलाक लिया जा सकता है ?

उतर इस अधिनियम के तहत दोनों पक्ष किसी भी धर्म के हो सकते हैं। उनके तलाक लेने के लिए एक जैसे अधिकार हैं जैसे –

क) यदि प्रतिवादी के विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक सम्बन्ध हों।

ख) यदि प्रतिवादी ने वादी का परित्याग पिछले दो साल से लगातार कर रखा हो।

ग) यदि प्रतिवादी को किसी भी अपराध के लिए सात साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो।

घ) यदि प्रतिवादी ने शादी होने के बाद से वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो।

ङ) यदि प्रतिवादी अरोग्य पागलपन से पीड़ित हो।

च) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।

छ) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जो रोग वादी के सम्पर्क से प्राप्त न हुआ हो।

ज) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) के जिन्दा होने की खबर सात साल से अधिक तक ना सुनी हो।

झ) यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पाश्विकता का अपराधी हो।

ञ) यदि भरण-पोषण के आदेश के बाद एक साल या उससे अधिक तक सहवास ना हुआ हो तो पत्नी इस आधार पर भी तलाक प्राप्त कर सकती है।

THE HINDU SUCCESSION ACT

1. What rights have been conferred on females by the amendments in Hindu Succession Act in the year 2005?

Ans. The Hindu (Amendment) Act of 2005 has conferred the following rights on females:

Equal rights to daughter in co-parcenary property:

a) in joint Hindu family governed by Mitakshara law, the daughter of a co-parcener shall by birth become a co-parcener in her own right in the same manner as the son and have the same rights in the co-parcerary property as she would have had if she had been a son, inclusive of the right to claim by survivorship and shall be subject to the same liabilities and disabilities in respect thereto as the son;

b) at a partition in such a joint Hindu family the co-parcenary property shall be so divided as to allot to a daughter the same share as is allotable to a son:

Provided that the share which a predeceased son or a predeceased daughter would have got at the partition if he or she had been alive at the time of the partition, shall be allotted to the surviving child of such predeceased son or of such predeceased daughter:

Provided further that the share allotable to the predeceased child of a predeceased son or of a predeceased daughter, if such child had been alive at the time of the partition, shall be allotted to the child of such predeceased child of the predeceased son or of such predeceased daughter, as the case may be:

c) any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of the provisions of clause a) shall be held by her with the incidents of co-parcenary ownership and shall be regarded, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, as property capable of being disposed of by her by will or other testamentary disposition;

However, the aforesaid amendment shall not affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken placed before 20th December, 2004.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

प्रश्न ***वर्ष 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं को कौन-2 से अधिकार दिए गए है?***

उतर:- हिन्दू (संशोधन) अधिनियम 2005 में महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए है:-

पुत्रियों को संयुक्त सम्पति में प्राप्त सामान अधिकार

क) हिन्दू संयुक्त परिवार जिस पर मिताक्षरा विधि लागू होती है, ऐसे संयुक्त परिवार में पुत्री को जन्म से पुत्र के समान माना जायेगा। और उस संयुक्त परिवार की सम्पति में पुत्री को पुत्र के समान बराबर अधिकार (हिस्से) मिलेंगे। और उस पुत्री की दायित्व एंव अयोग्यताएं पुत्र के समान होंगी।

ख) ऐसे संयुक्त परिवार की सम्पति का बंटवारा होने पर पुत्री को पुत्र के समान एक जैसा हिस्सा मिलेगा।

यह कि अगर परिवार का पुत्र या पुत्री की पहले ही मृत्यु हो चुकी हो तो बटवारे के समय उसकी सन्तान चाहे वह पुत्र हो या पुत्री उसको वही हिस्सा मिलेगा। जो उस पुत्र या पुत्री को प्राप्त होता यदि वह जीवित होता।

यह कि पूर्व मृत सन्तान से पूर्व मृत पुत्र या पुत्री को जो हिस्सा बंटवारे के समय मिलना था अगर वह बच्चा बटवारे के समय जीवित होता, तो वह उस पूर्व मृत सन्तान वाला हिस्सा उस बच्चे को मिलेगा जो उस पूर्व मृत लडका या लडकी की सन्तान का बच्चा है, चाहे वह लडका हो या लडकी।

ग) खण्ड (क) अनुसार जो जायदाद हिन्दू महिला को मिली है, उस संपति का वह हस्तातंरण वसीयत की रूह से कर सकती है।

इस उपरोक्त संशोधन का 20 दिसम्बर 2004 से पहले हुए बंटवारे या हस्तातंरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

Where a Hindu dies after the commencement of the Amendment Act, his interest in the property of a joint Hindu Family shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, and not by survivorship.

Before the Amendment of 2005 female heir could not ask for partition in respect of dwelling house wholly occupied by a joint family until male heirs chose to divide their respective shares therein. Now this provision has been omitted so as to remove the disability on female heirs. Thus a female heir can now ask for partition in respect of a dwelling house occupied by a joint family, irrespective, of the fact whether male heirs choose to divide their respective shares therein or not.

2. What are the general rules of succession of females?

Ans. Property of a female Hindu dying intestate shall devolve on the following:

a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband;

b) secondly, upon the heirs of the husband;

c) thirdly, upon the mother and father;

d) fourthly, upon the heirs of the father; and

e) lastly, upon the heirs of the mother

The heirs specified in one entry shall be preferred to those in succeeding entries. All the heirs included in same entry shall take simultaneously. The heirs of pre-deceased son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken, if living.

जब कोई हिन्दू इस संशोधित एक्ट के प्रचलन के पश्चात मर जाता है तो उसकी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति में हित का बटवारा वसीयत या कोई मृत्यु लेख द्वारा, अगर कोई लिखा है, उसके अनुसार होगा न कि उत्तरजीवी के सिद्वान्त के अनुसार।

2005 के संशोधन से पहले कोई भी महिला वारिस, रिहायशी घर, जो कि संयुक्त परिवार के कब्जे में हो, को बंटवारे के लिए तब तक नहीं कह सकती थी जब तक पुरूष वारिस ऐसा न करना चाहे। महिला वारिस की इस अयोग्यता को मिटाने के लिए यह नियम हटा दिया गया है अतः अब एक महिला वारिस, सयुंक्त हिन्दू परिवार द्वारा अधिभोम में लाये जा रहे घर का बंटवारा करवा सकती है, चाहे पुरूष वारिस चाहे या नहीं।

प्रश्न महिला के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम ?

उतर ऐसी महिला जो बिना वसीयत के बनाए मर जाती है तो उसके मरणोपरान्त उसकी संपत्ति के निम्नलिखत हकदार होंगेः-

1. पहले – पुत्र और पुत्रियां (जिनमें पहले मर चुके पुत्र या पुत्री के बच्चे भी शामिल हैं) और पति,
2. दूसरे – पति के उत्तराधिकारी,
3. तीसरे – माता और पिता,
4. चौथे – पिता के उत्तराधिकारी,
5. पाँचवा – माता के उत्तराधिकारी।

उपरोक्त किसी एक इन्द्राज में दर्ज उत्तराधिकारों को उसके बाद दर्ज की गई श्रेणियों के उतराधिकारीयों से प्राथमिकता दी जाएगी। एक श्रेणी में दर्ज उत्तराधिकारी बराबर के हकदार होंगे। पहले मर चुके पुत्र या पुत्री के उत्तराधिकारी आपस में उस पुत्र/पुत्री का हिस्सा जो उसे मिलता यदि वह जीवित होता या होती, बराबर बांटेगें।

3. What are the general rules of succession of males?

Ans. The property of a male Hindu dying intestate shall devolve as follows:

a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class 1 of the Schedule;

b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;

c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased, and

d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.

Heirs in Class I of Schedule

Son; daughter; widow; mother; son of of a predeceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased, son of pre-deceased son; [son of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son].

Heirs in Class II of Schedule

I. Father.

II. (1) Son's daughter's son, (2) sons's daughter's daughter, (3) brother, (4) sister.

III. (1) Daughter's son's son, (2) daughter's son's daughter, (3) daughter's daughter's son, (4) daughter's daughter's daughter.

IV. (1) Brother's son. (2) sister's son, (3) brother's daughter (4) sister's daughter

V. Father's father; father's mother

VI. Father's widow; brothers' widow

VII. Father's brother; father's sister

प्रश्न पुरूषों के उतराधिकार संबंधि समान्य नियम ?

उतरः बिना वसीयत बनाएं मरने वाले पुरूष की सम्पति इस प्रकार से वितरित होगी :

- सबसे पहले वह उतराधिकारी, जो रिस्तेदार अनुसूचि की प्रथम श्रेणी में र्दशाए गए हैं ।
- दुसरे, यदि प्रथम श्रेणी में कोई उतराधिकारी नही है तो वह उतराधिकारी जो अनुसूचि की द्वितीय श्रेणी में र्दशाए गये हैं।
- तीसरे, यदि पहली दो श्रेणियो में कोई उतराधिकारी नही है तो जो मरने वाले के सगोत्र हैं (Agnates) और
- अन्त में, यदि कोई ग्रोत्र में नही है तो मरने वाले के सजातीय (Cognates)

अनुसूचि के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी

पुत्र, पुत्री उसकी विधवा पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, मरने वाले की पहले मरने वाली पुत्री का लड़का, मरने वाले की पहले मरने वाली लड़की की लड़की।

अनुसूचि की द्वितीय श्रेणी के उतराधिकारी

i पिता

ii 1–दौहता पुत्र की 2–दौहती 3–भाई 4–बहन

iii 1–पुत्री का पोता, 2–पुत्री की पोती, 3–पुत्र का दौहता, 4–पुत्री की दौहती

iv 1–भतीजा 2–भानजा 3–भतीजी 4–भानजी

v 1–दादा 2–दादी

vi 1–पिता की विधवा, 2–भाई की विधवा

vii 1–ताऊ (चाचा) 2–बुआ

VIII Mother' father; mother's mother

IX Mother's brother; mother's sister.

All the heirs specified in Class-I of schedule shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs.

The heirs specified in first entry in class II of schedule shall be preferred to those in the succeeding entry and similarly those in the second entry shall be preferred to those in the third entry and so on. The property shall be divided between the heirs specified in anyone entry so that they share equally.

The property of an intestate shall divide among the heirs in Class I of the schedule as follows:-

Rule 1. The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2. The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3. The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4. The distribution of the share referred to in Rule-3

ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

iii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.

viii 1–नाना 2–नानी

ix 1–मामा 2–मासी

सभी उतराधिकारी जो अनुसूचि की प्रथम श्रेणी में दिखाए गए हैं बराबर के हकदार होगें और अन्य सभी उतराधिकारियों को छोडकर उतराधिकारी पायेंगे/द्वितिय श्रेणी के उतराधिकारियों में इन्द्राज–1 में दर्ज उतराधिकारी को दूसरी प्रवृष्टि में दर्ज वारिसों से प्राथमिकता दी जायेगी और इसी प्रकार दुसरी प्रवृष्टि उतराधिकारीयों को तृत्तीय प्रवृष्टि में दर्शित उतराधिकारीयों से प्राथमिकता दी जायेगी। किसी प्रवृष्टि में दर्शित उतराधिकारीयों में सम्पति बराबर बांटी जाएगी।

मरने वाले की सम्पित का बटवारा अनुसूची की प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीयों में इस प्रकार से होगाः–

नियम–I:- मरने वाले की विधवा, और यदि एक से अधिक विधवा है तब सभी विधवाओं को एक साथ, एक हिस्सा मिलेगा।

नियम–II:- लड़के, लड़कियां और मरने वाले की मां को एक–एक हिस्सा बराबर।

नियम–III:- मरने वाले से पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के वारिस आपस में एक हिस्सा लेगें।

नियम–IV:- नियम–3 में हिस्से का बटवारा इस प्रकार से होगा -

पहले मरने वाले पुत्र का हिस्सा वितरित होगा :–

1–विधवा 2–लड़का 3–लड़की (बराबर–बराबर)

पहले मरने वाली लड़की का हिस्सा वितरित होगाः–

1–लड़का 2–लड़की (बराबर)

THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005

1. Who can file a complaint before the Magistrate under this Act?

Ans. A complaint under this Act can be filed before a Magistrare by an aggrieved person or protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person.

2. The Authorities before whom the complaint is to be filed?

Ans. Any person who has reason to believe that an act of Domestic Violence has been, or is being, or is likely to be committed, may give information about it to the protection officer. An application can also be filed by the aggrieved person or protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person to the Magistrate.

3. Against whom complaint can be filed?

Ans. The complaint can be filed against any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person. Aggrieved wife or a female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against the relative of the husband or the male partner.

4. What is domestic violence?

Ans. Domestic violence means any act, omission or commission or conduct of the respondent in case it:-

a) Harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical of the aggrieved person. It includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse.

b) Harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any of her relatives to meet any unlawful demand for dowry.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियिम, 2005

प्रश्न उपरोक्त अधिनियम के तहत कौन-कौन व्यक्ति दण्डाधिकारी को दरखास्त दे सकता है?

उत्तरः उपरोक्त अधिनियम के तहत उत्पीडीत व्यक्ति अथवा संरक्षण अधिकारी अथवा उत्पीड़ित व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि द्वारा दण्डाधिकारी को दरखास्त दी जा सकती है।

प्रश्न किस अधिकारी के समक्ष शिकायत दाखिल की जा सकती है?

उत्तरः कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण हो कि कोई घरेलू हिंसा का कृत्य घटित हो चुका है, हो रहा है, अथवा होने का अंदेशा है, वह सम्बन्धित संरक्षण अधिकारी को इस सम्बन्ध में सूचना दे सकता है। इसके अलावा उत्पीड़ीत व्यक्ति अथवा संरक्षण अधिकारी अथवा उत्पीड़ित व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि द्वारा दण्डाधिकारी को भी दरखास्त दी जा सकती है।

प्रश्न किस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ?

उत्तरः शिकायत किसी भी ऐसे व्यस्क पुरुष के खिलाफ की जा सकती है, जो उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू सम्बन्ध में रहता हो। उत्पीड़ित पत्नी अथवा कोई महिला जो विवाह जैसे सम्बन्ध में रह रही हो, वह भी अपने पति, अथवा पुरुष साथी, के सम्बन्धियों के विरूद्व शिकायत दर्ज करा सकती है।

प्रश्न उपरोक्त अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की क्या परिभाषा है?

उत्तरः घरेलू हिंसा उत्तरवादी द्वारा किए गए ऐसे किसी कार्य, चूक, कृत्य अथवा बर्ताव को कहा जा सकता हैः-

क) जिससे उत्पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जिंदगी, अंग और सुख, चाहे वह मानसिक हो अथवा शारीरिक को नुक्सान अथवा चोट पहुंचे। इसमें शारिरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण एवं आर्थिक शोषण सम्मिलित हैं।

ख) जिससे उत्पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके किसी सम्बन्धी पर दहेज अथवा अन्य किसी गैर कानूनी मांग की पूर्ति हेतु उत्पीड़न, नुक्सान अथवा चोट अथवा खतरा पहुंचे।

5. What is a protection order and residence order and what other orders can be passed by the Court.

Ans. Protection Order:-

It is an order whereby Magistrate prohibits the respondent from:

b) Committing any act of domestic violence.

c) Aiding or abetting any such act of domestic violence.

d) Entering the place of employment/school/another place frequented by the aggrieved person.

e) Attempting to communicate in any form whatsoever with the aggrieved person.

f) Alienating any assets including Stridhan, operating bank lockers or bank accounts etc. without the leave of the Magistrate.

g) Causing violence to the dependants, relatives or any person who gives any person assistance from domestic violence.

h) Committing any other act as specified in the protection order.

Residence order:

a) An order restraining the respondent from dispossessing or disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household.

b) Directing the respondent to remove himself from the shared household.

c) Restraining the respondent or his relatives from entering any portion of shared household.

d) Restraining the respondent from alienating or disposing off the shared household.

e) Restraining the respondent from renouncing his rights in the shared household.

f) Directing the respondent to secure an alternate accommodation for the aggrieved person.

The Magistrate can also pass orders for:-

a) Monetary relief to the aggrieved person.

b) For temporary custody of any child or children to the aggrieved person

c) To pay compensation and damages to the aggrieved person.

प्रश्न संरक्षण आदेश व गृह आदेश क्या है? और अन्य कौन से आदेश न्यायालय पारित कर सकती है ?

उत्तरः **संरक्षण आदेश**

यह एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा मैजीस्ट्रेट या न्याय अधिकारी प्रतिवादी पर रोक लगाता है –

क– किसी भी प्रकार की घरेलु हिंसात्मक कार्य करने से।

ख– किसी भी प्रकार के घरेलु हिंसात्मक कार्य के लिए उकसाना, या सहायता करने से।

ग– पीडित व्यक्ति के रोजगार के स्थान या स्कूल, या कोई भी अन्य जगह जहाँ पीड़ित अक्सर जाता हो, वहाँ प्रतिवादी के जाने पर।

घ– पीड़ित व्यक्ति से किसी भी प्रकार से संपर्क बनाने।

ड.– मैजीस्ट्रेट दण्डाधिकारी के आदेश के बिना किसी भी प्रकार की सम्पत्ति, जैसे कि स्त्री धन को हस्तांतरित करना या बैंक लॉकर या बैंक खातों का इस्तेमाल करना।

च– आश्रितों, रिश्तेदारों या अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो पीडित घरेलु हिंसा से पीडित व्यक्ति की सहायता करता है, को हिंसा पहुंचाना।

छ– अन्य किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करना जो कि संरक्षण आदेश में साफ तौर पर वर्णित है।

गृह आदेश

क– ऐसा आदेश जो कि प्रतिवादी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांझे के मकान से निकालने या उसके कब्जे में दखल अंदाजी करने से रोकता है।

ख– प्रतिवादी को सांझे के घर या मकान से खुद को हटाये जाने के आदेश।

ग– प्रतिवादी को या उसके रिस्तेदार को सांझे के घर के किसी भी हिस्सा में प्रवेश करने से रोकने के लिए।

घ– प्रतिवादी को सांझे के घर को किसी तरह से हस्तांतरण करने से या बेचने से रोकने के लिए।

ड.– प्रतिवादी को सांझे के घर बारे अपने अधिकार किसी ओर के हित में त्यागने से रोकने के लिए।

च– पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई दूसरी रिहायश मुहैया कराने के लिए आदेश।

दण्डाधिकारी निम्नलिखित आदेश भी पारित कर सकता है।

क– पीड़ित व्यक्ति के लिए आर्थिक राहत।

ख– किसी बच्चे या बच्चों की पीड़ित व्यक्ति के हक में अस्थाई संरक्षण के लिए।

ग– पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा और नुक्सान अदा करने के लिए।

6. Who is a protection officer? And where is his/her office in the district Head-quarters

Ans. Protection Officer is appointed by the State Government. In the District Headquarter, the office of Protection Officer is usually in the same building which houses the office of Superintendent of Police.

7. Is there any legal aid clinic at the said office and what are the functions of said clinic?

Ans. Yes, the Legal Aid Clinic has been set up by HALSA at the office of every Protection Officer. The advocates on duty at the clinic provide free legal aid to the victims of Domestic Violence.

8. What are the various duties performed by protection officer?

Ans. The following are the duties of the Protection Officer:

i) to assist the Magistrate in the discharge of his functions under this Act.

j) To make a domestic incident report to the Magistrate.

k) To make an application to the Magistrate for issuance of protection order, where the aggrieved person so desires.

l) To ensure the aggrieved person is provided legal aid.

m) To maintain the list of all service providers.

n) To make available a safe shelter home if the aggrieved person so requires.

o) To get aggrieved person medically examined if she has sustained bodily injuries.

p) To ensure that the order for monetary relief is complied with.

q) To perform such duties as may be prescribed.

प्रश्न संरक्षण अधिकारी कौन है और जिला मुख्यालय में उसका कार्यालय कहां होता है?

उत्तरः संरक्षण अधिकारी के राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है। जिला मुख्यालय में प्रायः संरक्षण अधिकारी का कार्यालय उसी भवन में होता है जिसमें पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थित होता है ।

प्रश्न क्या उक्त कार्यालय में कोई कानूनी सहयता क्लीनिक है और उस सहयता क्लीनिक के क्या कार्य है?

उत्तरः हां, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्धारा प्रत्येक सरंक्षक अधिकारी के कार्यालय में कानूनी सहयता क्लिनिक स्थापित किये जा चुके हैं। क्लिनिक में हाजिर वकील घरेलु हिंसा की शिकार पीड़ितो को कानूनी सहयता प्रदान करता है।

प्रश्न सरंक्षक अधिकारी के द्धारा क्या क्या कतर्व्य निभाये जाते है ?

उत्तरः सरंक्षक अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य है

1 इस कानून के तहत न्यायिक अधिकारी के कार्यो के उनमोचन में सहयता प्रदान करना,

2 धरेलू हिंसा की धटना की रिर्पोट न्यायिक अधिकारी को करवाना,

3 अगर पीडिता चाहे तो न्यायिक अधिकारी से सरंक्षक आदेश जारी करवाने के लिए आवेदन करना।

4 पीड़िता को विधिक और कानूनी सहयता सुनिश्चित करना,

5 सेवाएं प्रदान करने वालो की सूचि तैयार करना,

6 अगर पीड़िता चाहे तो उसे सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध कराना,

7 पीड़िता को यदि शारीरिक चोटें हों तो चिक्तिसिय जाँच उपलब्ध कराना,

8 आर्थिक सहयता के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करना

9 निश्चित किए गए कर्तव्यों की पालना करना

DOWRY RELATED OFFENCES & THE DOWRY PROHIBITION ACT

1. What is the definition of Dowry?

Ans. "Dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly:–

a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

b) by the parent of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person, at or before (or any time after the marriage) (in connection with the marriage of the said parties, but does not include) dower or *mahr* in the case of person to whom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies.

2. What are the various offences and the punishment prescribed for such offences under Dowry Prohibition Act?

Ans. Penalty for giving or taking dowry:

If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years, and with fine which shall not be less than fifteen thousand rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more;

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence for imprisonment of a term of less than (five years).

3. Whether a list of presents is required to be maintained under Dowry Prohibition Act and how is it prepared and what are its benefits?

Ans. A list of presents which are given at the time of marriage to the bride is to be maintained by the bride and the list of presents which are given to the bride-groom is to be maintained by bride-groom. Every such list of presents is to be prepared at the time of the marriage or as soon as possible after the marriage. The list has to be in writing and it shall contain:-

दहेज निरोधक अधिनियम

प्रश्न दहेज की परिभाषा क्या है?

उतरः 'दहेज' का मतलब कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति जो सीधे या परोक्ष रूप से दी गई है या देने का वचन किया गया हैः–

क– विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, या

ख– किसी भी पक्ष के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, विवाह के समय या पहले (या विवाह के बाद किसी भी समय) कथित पक्षों के विवाह के सम्बन्ध में। इसमें मुस्लिम व्यक्गित कानून (शरीयत) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति को देय डाबर या मेहर सम्मिलित नहीं हैं

प्रश्न दहेज निषेध अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध तथा ऐसे अपराध के लिए सजा के प्रावधान क्या हैं?

उतरः दहेज देने या लेने के लिए सजाः–

अगर कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, दहेज देता है या लेता है या देने या लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उस व्यक्ति को कारावास जिसकी सीमा 5 साल से कम नहीं होगी, तथा जुर्माना जो पन्द्रह हजार रूपये तक या ऐसे दहेज की कीमत, दोनों में से जो ज्यादा हो, की सजा होगी,

न्यायालय पर्याप्त तथा विशेष कारणों को निर्णय में वर्णित करते हुये 5 साल से कम की अवधि की सजा भी कर सकती हैं

प्रश्न क्या इस अधिनियम के तहत उपहारों की सूची बनाना आवश्यक है तथा यह कैसे तैयार की जाती है तथा इसके क्या लाभ हैं?

उतरः विवाह के समय दिये गये उपहारों की एक सूची जो वधू को दिये जाते हैं वधू को बनाकर रखनी होगी तथा वर को दिये गये उपहारों की सूची वर को बनाकर रखनी होगीं। इस प्रकार की प्रत्येक उपहारों की सूची विवाह के समय या विवाह के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो तैयार की जानी चाहिए। सूची लिखित में होनी चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होगेंः–

i) a brief description of each present/gift;

ii) the approximate value of the present/gift;

iii) the name of the person who has given the present/gift; and

iv) where the person giving the present is related to the bride or bridegroom, a description of such relationship;

v) shall be signed by both the bride and the bridegroom.

Giving of presents to the bride or bride-groom is not an offence when they are given without any demand having been made in that behalf and when the presents are entered in the aforesaid list prepared under the rules and where the presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom or on whose behalf such presents are given.

4. Whether the offences under this Act are non-bailable and non-compoundable?

Ans. Every offence under this Act is non-bailable and non-compoundable.

5. Whether permission of Magistrate is required before effecting arrest of person under this Act?

Ans. No person can be arrested under this Act without a warrant or without an order of the Magistrate.

6. What is dowry death and the punishment prescribed for said offence?

Ans. 1. Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called" dowry death", and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Explanation. - For the purposes of this sub- section," dowry" shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

क– प्रत्येक उपहार का संक्षेप में विवरण,

ख– उपहार की लगभग कीमत,

ग– व्यक्ति का नाम जिसनें उपहार दिया हो,

घ– उपहार देने वाला यदि वर या वधू का रिश्तेदार हो तो ऐसी रिश्तेदारी का विवरण,

ड– सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होगें,

वर या वधू को दिये गये उपहार अपराध की परिधि में नहीं आते यदि वे इस सम्बन्ध में बिना किसी मांग के दिये गये हों, तथा ऐसे उपहार जब नियमों के तहत बनाई गई उपरोक्त सूची में शामिल किये गये हों, और जहॉ ऐसे उपहार पारम्परिक तौर पर हों तथा उनकी कीमत देने वाले या जिसकी तरफ से दिये जाते हैं, की आर्थिक स्थिति के अनुसार ज्यादा कीमत के ना हों

प्रश्न क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध गैर–जमानती व गैर–शमनीय है?

उतरः इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध गैर–जमानती व गैर–शमनीय है।

प्रश्न इस अधिनियम के तहत व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले क्या न्यायधीश की अनुमति आवश्यक है?

उतरः कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत बिना वांरट या बिना न्यायधीश के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न दहेज मृत्यु क्या है, और इस अपराध के लिए निर्धारित दंड क्या है?

उतरः जब कोई स्त्री की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के अन्दर–अन्दर, जलाने से व शारारिक चोंटे पहुंचाने व अन्य किसी असामान्य कारणों से घटित होनी पायी जाती है तथा यह दर्शाया जाता है कि उसे उसकी मृत्यु से शीघ्र पहले उसके पति अथवा उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता व उत्पीडन से प्रताड़ित किया गया था, दहेज के लिये अथवा दहेज की मांग के सम्बन्ध में, इस प्रकार की मृत्यु ''दहेज मृत्यु'' कहलाती है और वह पति व रिश्तेदार उसके हत्यारे समझे जायेंगे।

2. Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life.

7. What is the definition of Cruelty under Section 498-A IPC and what is the punishment prescribed?

Ans. Under Section 498-A IPC:-

Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

"Cruelty" means:-

a) Any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health whether mental or physical) of the woman; or

b) Harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

8. Who is competent to file a complaint for these offences?

Ans. Complaint under Section 498-A IPC can be filed by the person aggrieved by the offence or by her father, mother, brothers or sisters or with the leave of Court by any other person related to her by blood, marriage or adoption.

2. जो भी कोई दहेज के लिए मृत्यु का जिम्मेवार होगा उसे सात साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है।

प्रश्न धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत क्रूरता की क्या परिभाषा है और उसमें क्या दंड निर्धारित किया गया है?

उतरः धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गतः–

किसी स्त्री का पति या उस पति का रिश्तेदार, जो उस स्त्री के साथ क्रूरता करते है तो उसे दण्ड में तीन साल तक की कारावास हो सकती है।

क्रूरता की परिभाषा –

क. कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण, जो कि इस प्रकार का हो जो कि स्त्री को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करे गंभीर चोंटे पहुंचाये या उसके जीवन के लिए या अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करे (चाहे वह मानसिक अथवा शारारिक); या

ख. महिला का उत्पीडन, जो उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से दिया जाए ताकि वो किसी भी प्रकार की अवैध मांग, जैसे कि किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को पूरा करे। या वो उत्पीडन जो किसी महिला को इस लिए दिया जाए कि उसने या उसके किसी रिश्तेदार ने ऐसी अवैध मांग पूरी नहीं की है।

प्रश्न इन अपराधो के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सक्षम है ?

उतरः धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए शिकायत, पीड़ित या उसके पिता, माता, भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से कोई भी व्यक्ति जिसका उससे खून से या शादी से अथवा दतक से रिश्ता हो, शिकायत दायर कर सकता है।

MINORITY AND GUARDIANSHIP

1. Who is a guardian of a Hindu Minor?

Ans. GUARDIAN:

Guardian means a person having the care of person of a minor or of his property or of both his person and property, and includes:-

(i) a natural guardian,

(ii) a guardian appointed by the will of the minor's father or mother,

(iii) a guardian appointed or declared by a Court, and

(iv) a person empowered to act as such by or under any enactment relating to any Court of wards;

NATURAL GUARDIANS:

The natural guardian of a Hindu minor, in respect of the minor's person as well as in respect of the minor's property (excluding his or her undivided interest in joint family property), are –

a) in the case of a boy or an unmarried girl – the father, and after him, the mother, provided that the custody of a minor who has not completed the age of five years shall ordinarily be with the mother;

b) in case of an illegitimate boy or an illegitimate unmarried girl – the mother, and after her, the father;

c) in the case of a married girl – the husband;

नाबालिग का संरक्षण

प्रश्न हिन्दू अल्पवयस्क का संरक्षक कौन है?

डत्तर **संरक्षकः**

संरक्षक का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अल्पवयस्क की या उसकी सम्पति की या दोनों की देख–रेख करे तथा इसमें शामिल हैः–

(i) प्राकृतिक संरक्षक

(ii) माता या पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त अल्पवयस्क का संरक्षक।

(iii) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया संरक्षक।

(iv) ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, या किसी संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है।

प्राकृतिक संरक्षकः

हिन्दू अल्पवयस्क या उसकी सम्पत्ति के सन्दर्भ में प्राकृतिक संरक्षक (अविभाजित पारिवारिक सम्पत्ति में हित के अतिरिक्त) यह हैः–

अ. पुत्र या अविवाहित पुत्री के– सन्दर्भ में पिता और उसके बाद माता, परन्तु यदि नाबालिग ने पांच साल तक की उम्र पूरी न की है तो साधारणतया उसकी अभिरक्षा (देख–रेख) का हक माता को होगा।

ब. नाजायज पुत्र या नाजायज अविवाहित पुत्री के सन्दर्भ में माता और उसके बाद पिता।

स. विवाहित पुत्री लड़की के संदर्भ में उसका पति।

2. What are the powers of natural guardians?

Ans. The natural guardian of a Hindu minor has power, to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for the realization, protection or benefit of the minor's estate. However, the natural guardian cannot without the previous permission of the Court, alienate or create a charge on the immovable property of the minor.

3. Procedure for appointment of a Court Guardian?

Ans. Any person desirous of being the guardian of the minor or claiming to be the guardian of the minor can file an application to the District Court having jurisdiction for being appointed as guardian. Where the Court is satisfied that it is for the welfare of a minor that an order should be made appointing a person as a guardian of his person or property or both, or declaring a person to be such a guardian, Court may make an order accordingly.

4. What are the powers of guardians qua disposal of immovable property of a minor?

Ans. The Guardian shall not without the previous permission of the Court:

a) mortgage or charge, or transfer by sale, gift, exchange or otherwise, any part of the immovable property of the minor; or

b) lease any part of such property for a term exceeding five years or for a term extending more than one year beyond the date on which the minor will attain majority.

प्रश्न प्राकृतिक संरक्षक की क्या शक्तियाँ है?

उत्तर हिन्दू अल्पवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक नाबालिग के हित में वह सभी काम कर सकता है जो आवश्यक हैं या उचित हैं और जो नाबालिग की सम्पत्ति की वसूली, सुरक्षा या लाभ के लिए उपयुक्त और उचित हैं। प्राकृतिक संरक्षक को अल्पवयस्क की अचल सम्पत्ति को बिना न्यायालय की अनुमति के बेचने का, रहन रखने का कोई अधिकार ना है।

प्रश्न न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया?

उत्तर कोई भी व्यक्ति जो अल्पवयस्क का संरक्षक बनने का इच्छुक हो या अल्पवयस्क का संरक्षक होने का दावा करता हो उस जिला न्यायालय, जिसे संरक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त हैं, के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश करेगा यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा आदेश करना अल्पवयस्क के हित में है, तो वह ऐसे आदेश पारित करके अल्पवयस्क का संरक्षक या उसकी सम्पत्ति या दोनों का संरक्षक नियुक्त कर सकती है।

प्रश्न संरक्षक को नाबालिग की अचल सम्पत्ति को किसी भी रूप में बेचने का (डिस्पोज ऑफ) करने की क्या शक्ति है?

उत्तर संरक्षक बिना किसी न्यायालय की अनुमति केः–

(अ) अल्पवयस्क की किसी भी अचल सम्पत्ति को रहन, दान, बैय, उपहार या तबादला आदि नहीं कर सकता।

(ब) अचल सम्पत्ति के किसी भी हिस्से को पट्टे पर पाँच साल से अधिक या अल्पवयस्क के वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष बाद तक से अधिक नहीं दे सकता।

5. What are the various provisions for obtaining custody of a minor?

Ans. The custody of a minor can be obtained under Section 25 Guardians and Wards Act, Section 26 Hindu Marriage Act and Section 21 Protection of Women from Domestic Violence Act.

6. Whether a guardian, who is acting against the interest of the minor, can be removed?

Ans. Yes, a guardian who is acting against the interest of the minor can be removed by filing an application to that effect before the District Court having jurisdiction.

प्रश्न अवयस्क की अभिरक्षा प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

उत्तर अवयस्क की अभिरक्षा के विभिन्न तरीके– धारा 25 संरक्षक अधिनियम, धारा 26, हिन्दु विवाह अधिनियम और धारा 21 महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत हैं।

प्रश्न क्या संरक्षक, जो अवयस्क के हित के खिलाफ कार्य करे, को हटाया जा सकता है?

उत्तर हाँ, संरक्षक जो अल्पवयस्क के हित में कार्य न करे, उसे हटाया जा सकता है, इसके लिए इससे संबंधित एक प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय, जिसका अधिकार क्षेत्र में हो, वहाँ देना होगा।

MAINTENANCE FOR WOMEN, CHILDREN & PARENTS UNDER SECTION 125 CR.P.C.

1. Who are entitled to claim maintenance and from whom under Section 125 Cr.P.C?

Ans. The following are entitled to claim maintenance from a person under 125 Cr.P.C:

Who can claim	From whom maintenance can be claimed
a. Wife b. Minor Children c. Children with mental or physical disability d. Parents	a. Husband b. Father c. Father d. Son

2. What is the limit of maintenance amount which can be awarded under this provision?

Ans. There is no limit to the amount which can be awarded as maintenance under 125 Cr.P.C.

3. Can interim maintenance be also awarded?

Ans. Yes, interim maintenance can also be awarded.

4. Which Courts are entitled to entertain and decide applications u/s 125 Cr.P.C?

Ans. Proceeding may be taken against any person before a Judicial Magistrate of any district:-

a) where he is, or

b) where he or his wife resides, or

c) where he last resided with his wife, or as the case may be, with the mother of the illegitimate child.

5. How the order of the Court is to be executed/implemented?

Ans. The Judicial Magistrate can send the defaulter to civil imprisonment extending to one month for every months default.

धारा 125 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत औरतों, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण का प्रावधान

प्रश्न ***धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत गुजारा भत्ता के लिए कौन हकदार हैं और किस से गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है?***

उत्तरः निम्नलिखित व्यक्ति धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत गुजारा भत्ता के लिए हकदार हैंः-

जो हकदार हैं		**जिनसे गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है**
क. पत्नी ख. अव्यस्क बच्चे ग. मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे घ. माता-पिता		क. पति ख. पिता ग. पिता घ. बेटा

प्रश्न ***उक्त प्रावधान के अंतर्गत मांगी जा सकने वाली गुजारा भत्ता राशि की सीमा क्या है?***

उत्तरः धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत गुजारा भत्ता की राशि की कोई सीमा नहीं है।

प्रश्न **क्या अंतरिम गुजारा भत्ता भी दिया जा सकता है ?**

उत्तरः हां, अंतरिम गुजारा भत्ता भी दिया जा सकता है।

प्रश्न **किन-किन अदालतों को धारा 125 सीआर.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र को सुनने व फैसला करने का अख्त्यार है?**

उत्तरः किसी भी जिला के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक मैजीस्ट्रेट की अदालत में कार्यवाही की जा सकती हैः-

क. जहां पर वह, अथवा

ख. जहां पर वह अथवा उसकी पत्नी, अथवा

ग. जहां पर वह अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रहा, अथवा नाजायज बच्चे की माता के साथ रहा

प्रश्न **न्यायालय के आदेश का निष्पादन कैसे किया जा सकता है?**

उत्तरः न्यायिक दण्डाधिकारी दोषी को हर माह की चूक के लिए एक माह तक की सिविल कारावास में भेज सकता है।

THE MAINTENANCE & WELFARE OF PARENTS & SENIOR CITIZENS ACT

1. Who can file an application for maintenance under this Act?

Ans. An application for maintenance under this Act can be made by:-

a) A senior citizen or a parent, as the case may be; or

b) If is incapable, by any other person or organization authorized by him; or

c) The Tribunal may take cognizance suo motu.

2. Whether Childless senior citizens can also claim maintenance and from whom?

Ans. Childless senior citizen can claim maintenance from his legal heir who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death.

3. The application for maintenance is to be filed before which authority.

Ans. The application for maintenance is to be filed before the Tribunal which is headed by the Sub-Divisional Officer.

4. Transfer of property by senior citizen can be declared to be void by the Tribunal under what circumstances?

Ans. Where a senior citizen has transferred by way of gift or otherwise his property, subject to the condition that the transferee shall provide basic amenities and basic physical needs to the senior citizen, and such transferee has refused or fails to provide such amenities and physical needs, the transfer shall be deemed to have been obtained by fraud or coercion or undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the Tribunal.

5. What is the punishment for abandonment of senior citizens and whether the offence is cognizable and bailable?

Ans. Whoever having the care or protection of senior citizen, leaves such senior citizen in any place with intention of wholly abandoning such senior citizen, shall be punishable with imprisonment extending upto 3 months or fine upto Rs.5,000/- or with both. The said offence is cognizable and bailable.

वरिष्ठ नागरिकों व अभिभावकों की देखभाल व गुजारा भत्ता

प्रश्न इस अधिनियम के तहत कौन गुजारे भत्ते के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर इस अधिनियम के तहत गुजारे भत्ते के लिए निम्नलिखित आवेदन दे सकते हैं।

क) एक वरिष्ठ नागरिक या माता/पिता

ख) यदि वह असमर्थ है तब उसके द्वारा अधिकृत कोई संगठन या व्यक्ति

ग) अधिकरण स्वयं संज्ञान ले सकता है।

प्रश्न क्या संतानहीन वरिष्ठ नागरिक गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है और किससे?

उत्तर संतानहीन वरिष्ठ नागरिक अपने कानूनी उत्तराधिकारी से गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है, जो कि नाबालिग न हो, और जो उसकी संपति के कब्जे में हो, या जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का उत्तराधिकार होगा।

प्रश्न किस प्राधिकरण के पास गुजारे भत्ते के लिए आवेदन किया जाए?

उत्तर गुजारे भत्ते के लिए ट्रिब्यूनल के पास आवेदन दिया जायेगा जिसकी अध्यक्षता उप-मण्डल अधिकारी करेगा।

प्रश्न किन परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिक द्वारा सम्पति के हस्तांतरण को अधिकरण द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है ?

उत्तर जहां वरिष्ठ नागरिक ने अपनी सम्पति उपहार द्वारा या अन्य माध्यम से इस शर्त के तहत हस्तांतरित की हो, जाऐगा कि सम्पति प्राप्तकर्ता वरिष्ठ नागरिक को मूलभूत सुविधायें व मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा, तथा वह प्राप्तकर्ता सुविधाऐं या भौतिक आवश्यकता प्रदान करने में विफल रहे, इन्कार करे या असफल रहे, तो हस्तांरण को धोखे से या दबाव से या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया माना जायेगा तथा हस्तांतरणकर्ता की याचिका पर चुनाव पर अधिकरण द्वारा अवैध घोषित किया जाएगा।

प्रश्न वरिष्ठ नागरिक के परित्याग की क्या सजा है और क्या अपराध संज्ञेय और जमानती है?

उत्तर जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखभाल व सुरक्षा है, और वो वरिष्ठ नागरिक के परित्याग की नीयत से स्थान पर छोड़ देता है, उसे तीन महीने तक का कारावास का दण्ड या 5000/- रूपये तक जुर्माना या दोनों होंगें। उक्त अपराध संज्ञेय व जमानतीय है।

THE RIGHT TO INFORMATION ACT

1. Who can obtain information under RTI Act?

Ans. Any citizen of India can obtain information under the RTI Act.

2. From whom the information can be obtained?

Ans. Information can be obtained from any public authority.

3. Which information cannot be asked under RTI Act?

Ans. (1) Under this Act there is no obligation to give the following information:-

a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offence;

b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

f) information received in confidence from foreign government;

g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers.

सूचना का अधिकार

प्रश्न सूचना के अधिकार नियम के अन्तर्गत कौन सूचना प्राप्त कर सकता है?

उतर इस नियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है सूचना प्राप्त कर सकता हैं।

प्रश्न सूचना किससे प्राप्त की जा सकती है?

उतर सूचना किसी भी सरकारी अधिकारी से मांगी जा सकती है।

प्रश्न कौन सी सूचना, सूचना के अधिकार नियम के अन्तर्गत नहीं मांगी जा सकती?

उतर 1) इस नियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देने को बाध्य नहीं है

क) जिस सूचना को देने से भारत की प्रभुता, पवित्रता, सुरक्षा, युद्व की कूटनीति या वैज्ञानिक या राज्य के आर्थिक हितों या विदेशी राज्यों के सम्बन्ध या किसी अपराध के बढावा देने बारे, की सूचना देने से विपरीत प्रभाव पड़े।

ख) ऐसी सूचना जिसको किसी अदालत या ट्रिबूनल ने छापने पर प्रतिंबध लगाया हो या जिसको बताने से अदालत की अवमानना होती हो।

ग) जिस सूचना को देने से लोकसभा या राज्य विद्यानसभा के विशेष अधिकारों का हनन होता हो।

घ) व्यापारिक विश्वास, व्यापार की गुप्तता या किसी की मानसिक बुद्वि सम्बंधिंत सूचना देने से किसी तीसरे व्यक्ति की स्पर्धा करने की स्थिति का नुकसान हो अथवा जब तक कि सक्षम अधिकारी को यह विश्वास न हो कि सूचना देना सार्वजनिक हित में ना हो।

ङ) किसी व्यक्ति के पास जो न्याय से सम्बधिंत अधिकारों के कारण सूचना जो उसके पास हो, जब तक सक्षम अधिकारी को यह ना लगे कि सूचना देना सार्वजनिक हित में हो।

च) ऐसी सूचना जो किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हो।

छ) ऐसी सूचना जिसको देने से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो या उसकी शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या किसी को सुरक्षा प्रदान करने की सहायता में बाधक हो।

ज) ऐसी सूचना जो किसी जांच की प्रक्रिया या अभियोग में रूकावट की संभावना पैदा करे।

झ) मंत्री परिषद के दस्तावेज मय मंत्रियों, सचिवों व अन्य अधिकारियों की सभा के विचारों का रिकार्ड।

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

r) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure.

Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature, shall not be denied to any person.

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section;

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

(4) Without prejudice to the above provisions, a Central Public information Officer or State Public Information Officer, as the case may be may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि मन्त्री मण्डल द्वारा निर्णय लेने के बाद तथा मामले के पूर्ण या पूरा होने पर उन निर्णयों को इनके कारण सहित तथा दस्तावेज जिसके आधार पर वह निर्णय लिए गए, को सार्वजनिक किया जाएगाः

यह भी पुनः पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि जो मामले इस धारा के अर्न्तगत दी गई छूट के अर्न्तगत आते है उन्हे गुप्त रखा जाऐगा।

ञ) सूचना जो कि व्यक्तिगत सूचना से सम्बधित है, जिसका भेद प्रकाशन का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई सम्बंध नही है, अथवा किसी व्यक्ति की निजता पर अनाधिकृत उल्लंघन हो सिवाय कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अथवा राज्य जन सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकार, जैसी भी स्थिति हो, संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित में ऐसा भेद प्रकाशन न्यायसगंत है।

पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि सूचना, जो कि संसद या राज्य विधानसभा को प्रदान करने से मना नही किया जा सकता वो किसी भी व्यक्ति को देने से मना नही किया जाएगा।

2) राजकीय गोपनीय अधिनियम 1923 (1923 का 19) में वर्णित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी अथवा उपधारा (1) के अनुसार किसी भी अधिकृत छूट के होते हुए भी एक जन प्राधिकरण, सूचना पर पहुंच की स्वीकृति दे सकती है, यदि भेद प्रकाशन से संरक्षित हितों के नुकसान की तुलना में जनहित को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

3) उपधारा (1) के अनुच्छेद (ए), (सी) और (आई) में वर्णित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई वाका अगर धारा 6 के अर्न्तगत किए गए अनुरोध की तिथि से 20 वर्ष पहले घटित हुआ हो तो ऐसे घटना, कार्यक्रम, विषय से संबंधित जानकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि जहां ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि उपरोक्त 20 वर्ष की अवधि की गणना किसी तिथि से की जाऐगी, केन्द्रीय सरकार का निर्णय, इस अधिनियम के अर्न्तगत सामान्य अपील के प्रावधानों के अधीन अन्तिम होगा।

4) उपरोक्त प्रावधानों के प्रभावित किए बगैर, एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सूचना के अनुरोध को निरस्त कर सकता है जहां सूचना देने के ऐसे अनुरोध से, राज्य के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से निहित प्रकाशन अधिकार का उल्लंघन सम्मिलित होता है।

4. What is the prescribed fee?

Ans. Rule 5 of the Haryana Right to Information Rules, 2009 provides as under:-

5. (1) An application for obtaining any information under sub-section (1) of the section 6 shall be accompanied with a fee of Rs.50/-

(2) For providing information under sub-section (1) of section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:-

(a) Rs.2/- for each page in A-4 or A-3 size paper, created or copies; and

(b) if information is to be provided on a large size of paper than that specified in-clause (a), the actual cost shall be charged.

(3) For providing information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:-

(a) Rs.50/- for providing information in a floppy;

(b) Rs.100/- for providing information in diskette; and

(c) if information sought is of such a nature, which is contained in a printed document, of which a price has been fixed, then that information shall be provided after charging the price, fixed for that printed document. However, if only an extract or page of such a printed document is asked for, then a fee of Rs.2/- per page shall be charged.

(4) No fee for inspection of record shall be charged, if such an inspection is made for one hour only. However, if inspection is made for a period of more than one hour, then a fee of rupees ten shall be charged for every fifteen minutes in excess of first hour. Every fraction of the period above fifteen minutes shall be construed as a complete period of fifteen minutes and it shall be charged as full period of fifteen minutes.

5. In how much time the information has to be supplied?

Ans. The Public Information Officer or the Assistant Public Information Officer, as the case may be, has to supply information within 30 days of the receipt of the request, or has to reject the request for any of the reasons specified in the Act, within that period.

प्रश्न निर्धारित शुल्क क्या है?

उत्तर हरियाणा सूचना अधिकार नियम 2009 के नियम 5 के अनुसारः–

5 (1) धारा 6 उपधारा (1) के तहत सूचना लेने के लिए दी गई अर्जी के साथ पचास रूपये शुल्क लगेगा।

(2) धारा 7 उपधारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिये, आवेदनकर्ता से निम्नलिखित शुल्क लिया जायेगाः–

(अ) A-3 और A-4 साईज के कागज पर पहली और नकल कापी के लिए दो रूपये प्रति पृष्ठ; और

(ब) अगर सूचना (अ) के अतिरिक्त बड़े कागज पर देनी हो तो वास्तविक खर्च लिया जायेगा।

(3) धारा 7 उपधारा (5) के तहत सूचना देने के लिये, आवेदनकर्ता से निम्नलिखित दर पर शुल्क लिया जायेगाः–

(क) 'फॅलापी' से सूचना देने के लिये Rs.50/-

(ख) 'डिस्क' से सूचना देने के लिये Rs.100/-

(ग) अगर मांगी हुई सूचना छपे हुये दस्तावेज, जिसका मुल्य निश्चित है, के रूप में है, तो वह सूचना निश्चित मुल्य, लेकर ही दी जायेगी, परन्तु अगर छपे हुऐ दस्तावेज का अंश या पृष्ठ ही मांगा गया हो, तो शुल्क Rs.2/- प्रति पृष्ठ ली जायेगी।

(4) रिकार्ड की जांच के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, अगर जांच एक घण्टे के लिये की जाती है। परन्तु, अगर जांच एक घण्टे से ज्यादा समय के लिये की जाती है तो पहले घण्टे के अतिरिक्त हर 15 मिनट के लिये 2-10/- का शुल्क लिया जायेगा। 15 मिनट से उपर हुये हर अंश को पूरे 15 मिन्ट ही माना जायेगा और उस पर पुरे 15 मिन्ट का शुल्क लिया जायेगा।

प्रश्न सूचना कितने समय में प्रदान की जायेगी?

उत्तर जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी या जिसके पास भी सूचना देने का अध्किार होगा वह सूचना आवेदन प्राप्त करने के बाद 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान करेगा या कारण सहित आवेदन को रद्द करेगा।

6. First Appeal lies to which Authority and what is the period of limitation for filing the first appeal?

Ans. The Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has to dispose off the request for information within a period of 30 days as stated above. Where the applicant does not receive a decision within said specified time or is aggrieved by a decision of the Public Information Officer, then he may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such decision, prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.

7. Second appeal lies to which Authority and what is the period within which the second appeal is to be filed?

Ans. Second appeal against the aforesaid decision shall lie within 90 days from the date on which decisions should have been made or was actually received. The second appeal is to be filed before the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be.

8. What are the offences and punishments under RTI Act?

Ans. Where the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has without any reasonable cause, refused to receive any application for information or has not furnished information within the specified time, or has malafidely denied the request for information, or has knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or has destroyed information which was the subject of the request or has obstructed in any manner in furnishing the information, the Central information commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal, shall impose a penalty of Rs.250/- each day, till application is received or information is furnished. However, total amount of such penalty should not exceed Rs.25,000/-.

प्रश्न किस प्राधिकरण पहली अपील पड़ती है और पहली अपील डालने के लिए समय सीमा क्या है?

उत्तर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या जो भी सूचना देने का अधिकार रखता हो, वह सूचना, आवेदक को तीस दिन में निर्धरित करेगा जहां पर भी आवेदक वह सूचना निर्धारित उपरोक्त समय में प्राप्त नही करता या जो सूचना मिली है उससे सहमत नही होता, तो आवेदक ऐसी अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना या मिलने के 30 दिन भीतर, उसकी अपील उस अधिकारी के पास करेगा जो केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी से वरिष्ठ होगा।

प्रश्न दूसरा अपील प्राधिकारी कौन है और दूसरी अपील दायर करने के लिए समय सीमा क्या है?

उत्तर उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपील 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए जिस दिन तक निर्णय दिया जाना चाहिए था या जिस दिन निर्णय प्राप्त हुआ। द्वितीय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग, या जो भी अधिकार रखता है, के पास दायर की जाती है।

प्रश्न जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपराध क्या है और उनके के लिए दण्ड क्या है?

उत्तर जहां पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी या जो भी अधिकार रखता है, सूचना के लिए आवेदन को बिना उचित कारण लेने से इन्कार करता है, या वह निर्धरित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान नही करता है, या गलत भावना के कारण सूचना देने से इन्कार करता है, या जानबुझ कर गलत जानकारी, या अधूरी, या भ्रामक जानकारी देता है, या मांगी गई सूचना को नष्ट करता है, या जानकारी देने में किसी भी प्रकार का अवरोधक बनता है, तब केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग या जो भी अधिकार रखता है शिकायत निर्धारण के समय या अपील निर्धारण के समय, प्रति दिन के लिए दोषी को 250/- प्रति दिन के हिसाब से दण्ड शुल्क लगा सकता है जब से आवेदन प्राप्त हुआ और या जब से जानकारी प्रदान की गई। कुल दण्ड शुल्क 25,000/- रूपये से अधिक नहीं होगा।

MGNREGA

1. What guarantee regarding employment is provided under this Act?

Ans. This Act provides not less than 100 days of guaranteed wage employment in a financial year, to every household in the rural areas, whose adult members, by application volunteer to do unskilled manual work.

2. What is the procedure for registration and obtaining job cards?

Ans. An application for purposes of registration under rural areas employment guarantee scheme has to be filed before the Sarpanch of the concerned village. A job card is issued to the registered family within 15 days. Photographs of the adult members of the family who are willing to work under this scheme has to be affixed on the card. The card remains valid for 5 years.

3. What is the procedure for obtaining employment?

Ans. For obtaining employment an application is to be filed before the Sarpanch of the concerned village where the person is registered.

4. What is the provision for compensation where the applicant is not provided with employment within 15 days of receipt of application?

Ans. In case the applicant is not provided with employment within 15 days of receipt of application, he shall be entitled to a Daily Unemployment Allowance at such rates as may specified by the State Government by notification in consultation with the State council. No such rate shall be less than one-fourth of the minimum wage rate for the first 30 days during the financial year and not less than one half of the minimum wage rate for the remaining period of the financial year. The liability of the State Government to pay unemployment allowance shall cease where the adult members of the household have received the total of at least 100 days of work within the financial year or where the household of the applicant has earned as much from the wages and unemployment allowance taken together which is equal to the wages for 100 days of working during the financial year.

5. Whether the applicant has to be provided with employment in his own village?

Ans. Yes the applicant is provided employment in his own village or in nearby village.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

प्रश्न रोजगार के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या निश्चितता दी गई है?

उतर यह अधिनियम एक आर्थिक–सत्र पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक उस घर को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार देने की निश्चितता प्रदान करती है जिस घर के बालिग सदस्य मजदूरी करने के इच्छुक हो और उन्होनें प्रार्थना पत्र भी दिया हो।

प्रश्न रोजगार कार्ड को पंजीकृत करने की और प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उतर इस स्कीम के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित गांव के सरपंच के समक्ष पंजीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तत्पश्चात उस परिवार को एक रोजगार कार्ड पारित किया जाता है। सम्बन्धित सदस्यों का फोटो उस रोजगार कार्ड पर लगाया जाता है। यह कार्ड पांच वर्षों के लिए मान्य रहता है।

प्रश्न रोजगार प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उतर रोजगार प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित गांव के सरपंच के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसके समक्ष पंजीकरण हुआ है।

प्रश्न प्रार्थना पत्र देने के 15 दिनों के अन्दर यदि प्रार्थी को रोजगार न दिया गया तो क्षति–पूर्ति की क्या प्रक्रिया है?

उतर यदि प्रार्थी को आवेदन पत्र देने के 15 दिनों के अन्दर रोजगार न दिया जाए तो प्रार्थी प्रान्त की परिषद के निर्देशानुसार प्रान्तीय सरकार द्वारा निर्धारित बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यह भत्ता आर्थिक वर्ष में पहले 30 दिनों के लिए कम से कम, वेतन का चौथाई भाग होना चाहिए और बाकी वर्ष के लिए न्यूनतम मजदूरी का कम से कम आधा भाग होना चाहिए। यह बेरोजगार भत्ता देने की सरकार की जिम्मेवारी उस समय समाप्त हो जाएगी जब सम्बन्धित घर का एक बालिग सदस्य एक आर्थिक वर्ष में कम से कम 100 दिन का बेरोजगार प्राप्त कर ले या बेरोजगार भत्ते द्वारा उसने सौ दिन के रोजगार द्वारा प्राप्त आय जितना भत्ता प्राप्त कर लिया हो।

प्रश्न क्या प्रार्थी को अपने ही गांव में रोजगार दिया जा सकता है?

उतर हां, प्रार्थी को अपने या निकटतम गांव में रोजगार दिया जाता है।

6. How to redress the various grievances arising during implementation of this Act?

Ans. In case of grievances arising from implementation of this act the panel advocates and para legals can help the applicants to obtain redressal of the grievances by filing application before BDPO or the Deputy Commissioner. Such disputes can also be taken up at pre litigation stage by the Lok Adalats for speedy disposal of the matter.

प्रश्न इस धारा के लागू होने के दौरान जो शिकायतें पैदा होंगी, उनका निराकरण कैसे किया जाएगा?

उतर इस अधिनियम के तहत होने वाली शिकायतों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल पर नियुक्त वकील प्रार्थी को शिकायत के निराकरण हेतु सहायता दे सकते हैं। इसके लिए प्रार्थी को बी.डी.पी.ओ. अथवा डिप्टी कमिश्नर के समक्ष एक आवेदन पत्र देना होगा। इस तरह के विवादों में शीघ्र सहायता के लिए लोक अदालत द्वारा भी विवाद का निपटारा किया जा सकता है।

THE SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT:

1. What are the various offences and punishments prescribed for such offences under this Act?

Ans. Punishments for offences of atrocities.—

(1) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(i) forces a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance;

ii) acts with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by dumping excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his premises or neighbourhood;

(iii) forcibly removes clothes from the person of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or parades him naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity;

(iv) wrongfully occupies or cultivates any land owned by, or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or gets the land allotted to him transferred;

(v) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights over any land, premises or water;

(vi) compels or entices a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do 'begar' or other similar forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by Government;

(vii) forces or intimidates a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe not to vote or to vote to a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

प्रश्न इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध और उनकी सजाएं क्या निर्धारित की गई हैं?

उतर अत्याचार के अपराधों के लिए दंड –

1. कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इक्टठा करके उसे क्षति पहुँचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरूद्ध है;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उस आवंटित भूमि को अंतरित करा लेगा;

(ड.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को "बेगार" करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

(viii) Institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ix) gives, any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(x) Intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;

(xi) assaults or uses force to any woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe with intent to dishonour or outrage her modesty

(xii) being in a position to dominate the will of a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and uses that position to exploit her sexually to which she would not have otherwise agreed;

(xiii) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;

(xiv) denies a member 01 a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any section thereof have a right to use or access to;

(xv) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा;

(झ) किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुँचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा;

(ञ) जनता को दष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा;

(थ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा;

(द) किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्‌गम के जल को, जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है;

(ध) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे किसी सदस्य को बाधा पहुँचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहाँ पहुँचने से निर्वारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुँचने का अधिकार है;

(ड.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास–स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(i) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is capital by the law for the lime being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine; and if an innocent member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence, shall be punished with death;

(ii) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or upwards and with fine;

(iii) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to a .member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(iv) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place for human dwelling or as a place & custody of the property by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

(v) commits any offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) punishable with imprisonment for a term of ten years or more against a person or property on the ground that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

कोई व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है –

क) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए, जो तत्समय प्रवृत विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्धि होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा, और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है, और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा।

ख) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्धि होना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा;

ग) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पति को नुक्सान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

घ) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणत पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

ड.) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पति के विरूद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(vi) knowingly or having reason to believe that an offence has been committed under this Chapter, causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, shall be punishable with the punishment provided for that offence; or

(v) being a public servant, commits any offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

5. Punishment for neglect of duties.—

Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, willfully neglects his duties required to be performed by him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.

6. Enhanced punishment for subsequent conviction—

Whoever, having already been convicted of an offence under this Chapter is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

1. What are the provisions pertaining to compensation for the victims of offences under this Act?

Ans. The provisions pertaining to compensation for the victims of offences are provided under Rule 11 and 12 alongwith Annexure I of the Rules, 1995.

2. What are the provisions governing bail for offences committed under this Act?

Ans. The provisions of Section 438 Cr.P.C regarding anticipatory bail are not applicable in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.

च) यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी, को, विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है यह विश्वास करता है कि वह मिथ्था है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा, या

छ) लोकसेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगी।

प्रश्न कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड –

उतर कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

प्रश्न सजा बढ़ाने का प्रावधान –

उतर यदि कोई व्यक्ति इस कानून के अर्न्तगत एक से अधिक बार अपराध करने का दोषी पाया जाता है तो उसे एक वर्ष की न्यूनतम सजा दी जा सकती है। जो भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत उस अपराध कि सजा के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है।

प्रश्न इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराधों के शिकार लोगों के मुआवजे सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं ?

उतर अपराधों के शिकार लोगों के मुआवजे सम्बन्धी प्रावधान नियम 11 और 12 के साथ–साथ 1995 के नियमों के अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

प्रश्न इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराधों के संबंध में जमानत का क्या प्रावधान है?

उतर इस अधिनियम के तहत अपराध में शामिल व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कोई भी अदालत अग्रिम जमानत का आदेश पारित नहीं कर सकती।

THE FAMILY COURTS

1. What cases are to be heard and decided by the Family Courts?

Ans. a) a suit or proceeding between the parties to a marriage for a decree of nullity of marriage (declaring the marriage to be null and void or as the case may be annulling the marriage) or restitution of conjugal rights or judicial separation or dissolution of marriage;

b) a suit or proceeding for a declaration as to the validity of a marriage or as to the matrimonial status of any person;

c) a suit or proceeding between the parties to a marriage with respect to the property of the parties or of either of them;

d) a suit or proceeding for an order or injunction in circumstances arising out of a marital relationship;

e) a suit or proceeding for a declaration as to the legitimacy of any person;

f) a suit or proceeding for maintenance;

g) a suit or proceeding in relation to the guardianship of the person or the custody of, or access to, any minor.

2. The places where the Family Courts have been established?

Ans. The Family Courts have been established in Faridabad, Gurgaon, Hissar and Bhiwani.

पारिवारिक न्यायालय

प्रश्न पारिवारिक न्यायालय के द्वारा कौन से केस सुने व फैसले किए जाते हैं ?

उतर क) विवाह को शून्य घोषित करने के लिए, वैवाहिक अधिकार को पुर्नस्थापित करने के लिए, न्यायिक संबंध विच्छेद एवं विवाह विच्छेद के लिए कोई भी केस या कार्यवाही।

ख) विवाह या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति की विधिमान्यता घोषित करने के सम्बन्ध में केस।

ग) पति–पत्नी के मध्य कोई भी केस जो एक पक्ष की संपति या दोनों की संपति के संबंध में हो।

घ) वैवाहिक सम्बन्धों से उत्पन्न परिस्थितियों में आदेश या निषेधाज्ञा जारी करने के लिए कोई केस।

ड.) किसी व्यक्ति की वैधता/विधिसंगत होने की घोषणा संबंधी केस।

च) भरण–पोषण सम्बन्धी कोई भी केस या कार्यवाही।

छ) किसी नाबालिग के संरक्षण या अभिरक्षा या पहुँच के संबंध में कोई केस या कार्यवाही।

प्रश्न पारिवारिक न्यायालय कहाँ–कहाँ पर स्थित हैं ?

उतर पारिवारिक न्यायालय फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और भिवानी में स्थापित हैं।

THE CONSUMER PROTECTION ACT

1. What is the definition of consumer?

Ans. Consumer means any person who-

i. buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of the deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

ii. hires any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person, but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose.

2. Who can file a complaint under this Act?

Ans. A complaint in relation to any goods sold or delivered or any service provided may be filed with a district forum by:

a) the consumer to whom such goods are sold or delivered or such service provided.

b) any recognized consumer association, whether the consumer to whom the goods sold or delivered or service provided is a member of such association or not; or

c) the Central or the State Government.

d) one or more consumers, where there are numerous consumers having same interest.

e) in case of death of consumer, his legal heir or representative.

3. What are the various reliefs which can be granted by the forum?

Ans. The following reliefs can be granted by the forum:

a) to remove the defect pointed out by the appropriate laboratory from the goods in question.

b) To replace the goods with new goods of similar description which shall be free from any defect;

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

प्रश्न ***उपभोक्ता की परिभाषा से क्या अभिप्राय है?***

उत्तर उपभोक्ता का मतलब कोई व्यक्ति जो :–

(i) प्रतिफल देकर, कोई वस्तु खरीदता है, जो प्रतिफल दिया हो या देने का वचन किया हो या अंशतः दिया गया हो और बाकि का देने का वचन किया हो, या किसी व्यवस्थित ढंग से अग्रेसित किया हो, जिसमें वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है। लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल ना है, जो प्रतिफल देकर कोई वस्तु खरीदता है, जिसमें प्रतिफल दिया हो या देने का वचन किया हो या अंशतः दिया हो और बाकि देने का वचन किया हो या किसी व्यवस्थित ढंग से अग्रेसित किया हो, जब इस वस्तु का प्रयोग खरीददार की अनुमति से किया हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं हैं, जो ऐसी वस्तु को पुनः विक्रय के लिये जो कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये हो, प्राप्त करता है या

(ii) वह व्यक्ति कोई सेवाएं प्राप्त करता है, जिसमें प्रतिफल दिया है या देने का वचन किया हो या अंशतः दिया हो और बाकि का देने का वचन किया हो या किसी व्यवस्थित ढंग से अग्रेषित किया हो, जिसमें सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाला शामिल है बजाय कि उस व्यक्ति के जो प्रतिफल देकर कोई सेवा अभिप्राप्त करता है, जिसमें प्रतिफल दिया हो, या देने का वचन किया हो, या अंशतः दिया हो और बाकि देने का वचन किया हो या किसी व्यवस्थित ढंग से अग्रेषित किया हो, जब तक कि सेवा का उपयोग अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति की अनुमति से किया हो लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं हैं, जो ऐसी सेवा को पुनः देने के लिये जो कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये हो, प्राप्त करता है।

प्रश्न ***इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत पत्र कौन दायर कर सकता है?***

उत्तर शिकायत पत्र किसी वस्तु जो बेची गई हो या प्रदत्त की हो या सेवा दी गई हो के संबंध में जिला उपभोक्ता मंच/न्यायालय को दी जा सकती है :–

(अ) ऐसा उपभोक्ता जिसे वस्तु बेची गई हो, दी गई हो, या सेवाएं प्रदान की गई हो।

(ब) कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन चाहे वह उपभोक्ता जिसे वस्तु बेची गई हो या दी गई हो या सेवा प्रदान की गई हो, का ऐसी मान्यता प्राप्त संगठन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

(स) केन्द्रीय या राज्य सरकारें।

(ड) एक या एक से अधिक उपभोक्ता, वहां जहां एक ही विचार के अधिक उपभोक्ता हो।

(ण) ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता की मृत्यु हो गई हो, उसके कानुनी वारिसों या प्रतिनिधि द्धारा।

प्रश्न ***उपभोक्ता न्यायालय द्वारा कौन–2 सी राहतें दी जा सकती हैं?***

उतर उपभोक्ता न्यायालय द्वारा निम्नलिखित राहते दिये जा सकते हैं:–

क) दोषपुर्ण/खराब वस्तु/सामान से सम्बन्धित कार्यशाला/वर्कशाप द्वारा कथित खराबी को ठीक करने की राहत का आदेश दिया जा सकता है।

ख) दोषपुर्ण/खराब वस्तु/सामान को उसी प्रकार के नऐ वस्तु/सामान के साथ जो कि बिना किसी त्रुटि या दोष रहित हो, बदलने का आदेश दिया जा सकता है।

c) To return to the complainant the price or, as the case may be, the charge paid by the complainant;

d) To pay such amount as may be awarded by it as compensation to the consumer for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party.

4. What is the limitation for filing a complaint under this Act?

Ans. 1) Subject to the other provisions of this Act, the District Forum shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services and the compensation, if any, claimed is less than rupees twenty lacs.

A complaint shall be instituted in a District Forum within the local limits of whose jurisdiction:

a) the opposite party or each of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the institutions of the complaint, actually and voluntarily resides or carries on business, or personally works for gain, or

b) any of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the institution of the complaint, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, provided that in such case either the permission of the District Forum is given or the opposite parties who do not reside, or carry on business, or personally work for gain, as the case may be, acquiesce in such institution; or

c) the cause of action, wholly or in part, arises.

2. State Commission shall have original jurisdiction when the value of goods or services and the compensation, if any, claimed is less than Rs.1 crore and more than 20 lakhs.

3. National Commission shall have original jurisdiction where the value of goods or services and the compensation, if any, exceeds Rs.1 crore.

ग) शिकायतकर्त्ता को सामान/वस्तु की कीमत या उपभोक्ता द्वारा अदा की गई राशि जैसी स्थिति हो, शिकायतकर्ता को वापिस किये जाने का आदेश दिया जा सकता है ।

घ) उपभोक्ता को दूसरी पार्टी/प्रतिवादी द्वारा किये गये नुकशान की भरपाई का मुआवजा देने का आदेश पारित किया जा सकता है जो कि दूसरी पार्टी की लापरवाई के कारण हुआ हो ।

प्रश्न इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कौन–2 सी शर्तें हैं ?

उतर इस अधिनियम के तहत अन्य प्रावधानों के इलावा, यह भी है कि जिला फोरम उन मुकदमों/शिकायत को सुनवाई कर सकता है जिसमें सामान, सेवाओं और मुआवजा जो कि माँगा गया हो यदि उस की माँगी गई राशि बीस लाख रूपये तक की बनती हो।

जिला उपभोक्ता न्यायलय में एक शिकायत तभी दर्ज करवाई जा सकती है यदि वो शिकायत उस जिला फोरम की न्यायिक क्षेत्र की हदों में आती हो :–

क) शिकायत दर्ज करने के समय पर यदि प्रतिवादी या प्रतिवादीगण वहां जहां एक से अधिक हों तथा वो असल व पूर्ण रूप से स्वयं रह रहे हों, या खुद काम कर रहे हों या व्यापार कर रहे हो मुनाफा कमाने के लिए, या

ख) शिकायत दर्ज करने के समय पर यदि कोई एक प्रतिवादी जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हों, असल व पूर्ण रूप से स्वयं रह रहा हों या व्यापार कर रहा हो या खुद काम कर रहा हो मुनाफा कमाने के लिए, तो ऐसे केसों में प्रावधान है कि या तो जिला फोरम अनुमति दे दे या प्रतिवादीगण जो फायदे/मुनाफे के लिए नहीं रह रहे हैं या व्यापार ना कर रहे हो या खुद काम ना कर रहे हो से अनुमति बारे लिखा हो ऐसे केसों को दर्ज करने के समय पर या

ग) पूर्ण रूप या आंशिक रूप से कार्यवाही का कारण आता हो।

2. जिन केसों में वस्तुओं/सामान या सेवाओं और मुआवजों बारे यदि है तो, जो केस मुबलिक एक करोड़ रूपयों से कम हो तथा बीस लाख रूपयों से अधिक हो तो राजकीय कमीशन को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वह उन केसों का न्यायिक फैसला कर सकती है।

3. राष्ट्रीय कमीशन को पूर्ण रूप से उन केसों का जिनमें सामान/वस्तुओं की या सेवाओं की और मुआवजा राशि मुबलिक एक करोड़ रूपयों से अधिक हो तो, फैसला करने का अधिकार है।